BX - [illegible] 1973

रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 1
PART III—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 29, 1973/आश्विन 7, 1895
No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 29, 1973/ASVINA 7, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation**

Library 25 FEB 1974 India

Government of India, Office of the Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range II, New Delhi

*New Delhi, the 24th September* 1973

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

**No. IAC-ACQ II/73-74/4153.**—Whereas I, C. V. Gupte, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 24, situated at Barakhamba Road, New Delhi.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Delhi on 27th March, 1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

| | |
|---|---|
| (1) M/s Ashoka Estates (P) Ltd, 24, Barakhamba Road, New Delhi. | (Transferor) |
| (2) Shri Anil Nath son of Shri Vishwa Nath Resident of C-15, N.D.S.E. Part II, New Delhi. | (Transferee) |
| (3) M/s Dewan Chand Builders (P)Ltd, 33-B, Pusa Road, New Delhi. | (Person (s) in occupation of the property) |
| (4) Shri/Smt/Km. ———— | (Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property) |

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Rights to portion of the entire first floor, the second floor (less 3000 Sq. Feet) part of the third floor, the enire twelfth (12) floor along with terrace, loft in the first floor, 30 per cent compact area in the parking lot on the ground floor, 30 per cent compact area in the upper basement clear of service space provided therein and 30 per cent of any utilisable area on the ground floor in the multistoreyed building under construction at No. 24 Barakhamba Road, New Delhi—attributable to the transferees' 1/64th share in the undivided right, title and interest in the Bungalow No. 24, Barakhamba Road, New Delhi.

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 2, दिल्ली-1

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1973

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा घ (1) के अधीन सूचना

सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/II/73-74/4153.—यतः, मुझे, सी० बी० गुप्ते आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 24 है, जो बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 27-3-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य स

कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना और/या ;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर, बनाना।

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैं० अशोका एस्टेट्स (प्रा० ) लि०, (अन्तरक)
24, बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली ।

2. श्री अनिल नाथ पुत्र श्री विश्वानाथ, (अन्तरिती)
सी—15, एन०डी०एस०ई०—II, नई दिल्ली ।

3. मैं० दीवान चन्द बिल्डरस् (प्रा०) लि०, (वह व्यक्ति जिसके अधि-
33—बी, पूसा मार्ग, नई दिल्ली । (भोग में सम्पत्ति है)

4. श्री/श्रीमती/कुमारी..... वह व्यक्ति जिसके बारे में
..... अधोहस्ताक्षरी जानता है कि
..... वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

**स्पष्टीकरण** .—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

## अनुसूची

निम्नलिखित बनाई हुई जगह के हिस्सों के बारे में अधिकार जो 24, बाराखम्बा मार्ग पर बनने वाली कई मंजिलों की बिल्डिंग में स्थित होगी—पूरी पहली मंजिल, दूसरी मंजिल (3000 वर्ग फीट घटा के) पूरी बारहवीं मंजिल, छत के साथ, पहली मंजिल के ऊपर की दुछत्ती पार्किंग के जगह में की 30 प्रतिशत जगह, और बाकी अन्य जगह जो अन्तरिती के 24, बाराखम्बा मार्ग के इस डोड़ में उल्लेखित जमीन के अधिकार से सम्बन्धित है ।

**No. IAC-ACQ II/March II/275(III)/73-74/4153.—Whereas I, C. V. Gupte, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing.**

No. 24, situated at Barakhamba Road, New Delhi.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Delhi on 27th March, 1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

| | |
|---|---|
| (1) M/s Asboka Estate (P) Ltd., 24, Barakhamba Road, New Delhi. | (Transferor) |
| (2) Shri Vishwa Nath son of Shri Prem Nath resident of C-15, N.D.S.E. Part-II, New Delhi. | (Transferee) |
| (3) M/s Dewan Chand Builders (P) Ltd., 33-B, Pusa Road, New Delhi. | (Person(s) in occupation of the property) |
| (4) Shri/Smt./Km. ———————— ———————— | (Person(s) whom the under signed knows to be interested in the property) |

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Rights to a portion of the entire first floor, the second floor (less 3000 Sq. Feet) part of the third floor, the entire twelfth (12th) floor along with terrace, loft in the first floor, 30% of compact area in the parking lot on the ground floor, 30% compact area in the upper basement clear of service space provided therein and 30% of any utilisable area on the ground floor in the multistoreyed building under construction at No. 24 Barakhamba Road, New Delhi—attributable to the transferees' 1/64th share in the undivided right, title and interest in Bungalow No. 24 Barakhamba Road, New Delhi.

**सं० आई० ए० सी० (एच०)/II/73-74/4163.**—यतः, मुझे, सी० वी० गुप्ते आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 24 है, जो बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 27-3-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना और/या ;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर, बनाना ।

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं ।

अतः, अब, धारा 269—ग के अनुसरण में, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269—घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

| | |
|---|---|
| 1. अशोका एस्टेट्स (प्रा०) लि०<br>24, बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली | (अन्तरक) |
| 2. श्री विश्व नाथ सुपुत्र श्री प्रेम नाथ निवासी<br>सी—15, एन०डी०एस०ई०—पार्ट—II, नई दिल्ली | (अन्तरिती) |
| 3. मैं० दीवान चन्द (प्रा०) लि०<br>33—बी, पूसा मार्ग, नई दिल्ली | (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) |
| 4. श्री/श्रीमती/कुमारी .....<br>.....<br>..... | (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) |

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद् द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20—क में यथा-परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

## अनुसूची

निम्नलिखित बनाई हुई जगह के हिस्सों के बारे में जो 24, बाराखम्बा मार्ग पर बनने वाली कई मंजिलों की बिल्डिंग स्थित होगी—पूरी पहली मंजिल, दूसरी मंजिल (3000 वर्ग फीट घटा के) पूरी बारहवें मंजिल, छतके साथ, पहली मंजिल के ऊपर की दुछत्ती पार्किंग के जगह में की 30 प्रतिशत जगह, और बाकी अन्य जगह—जो अन्तरिती के 24 बाराखम्बा मार्ग के इस डीड में उल्लेखित जमीन के अधिकार से सम्बन्धित है।

**No. IAC/ACQ II/73-74/March II/266 III/278(III)/4153.**—Whereas I, C. V Gupte, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing,

No. 24, situated at Barakhamba Road, New Delhi,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Delhi on 27th March, 1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

| | |
|---|---|
| (1) M/s Ashoka Estates (P) LTD. 23, Barakhamba Road, New Delhi. | (Transferor) |
| (2) Shri Rajeshwar Nath Son of Shri Prem Nath r/o C-15 N.D.S.E. Part-II, New Delhi. | (Transferee) |
| (3) M/s Devan Chand Builders (P) LTD 33-B, Pusa Road, New Delhi. | (Person(s) in occupation of the property) |
| (4) Shri/Smt./Km. ———— | (Person-s) whom the undersigned knows to be interested in the property) |

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

It is hereby further notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Right to a portion of the entire first floor, the second floor (less 3000 sq.ft.) part of the third floor, the entire twelfth floor (12th) floor along with terrace, loft in the first floor 30% compact area in the parking lot on the ground floor, 30% compact area in the upper basement clear of service space provided therein and 30% of any utilisable area on the ground floor in the multi-storeyed building under construction at No. 24, Barr Khamba Road, New Delhi—attributed to the transferee's 5'288th share in the undivided right, title and interest in the Bungalow Plot No. 24 Bara Khamba Road, New Delhi

सं० आई० ए० सी०/एक्यु० II/भार्च II/266 (III)/73-74/4153.—यतः, मुझे सी० वी० गुप्ते आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० 24 है, जो बाराखम्बा रोड़, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 27-3-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना, और/या ;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर, बनाना।

और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै० अशोका एस्टेट्स (प्रा०) लि० (अन्तरक)
   24, बारा खम्बा रोड़, नई दिल्ली

2. श्री राजेश्वर नाथ सुपुत्र श्री प्रेम नाथ (अन्तरिती)
   निवासी सी-15 एन० डी० एस० ई०, पार्ट-II, नई दिल्ली

3. दीवान चन्द बिल्डर्स (प्रा०) लि० (वह व्यक्ति जिसके अधि-
   33-बी पूसा मार्ग, नई दिल्ली भोग में सम्पत्ति है)

4. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... (वह व्यक्ति जिसके बारे में
   .....अधोहस्ताक्षरी जानता है कि
   .....वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

की यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

**स्पष्टीकरण** :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

## अनुसूची

निम्नलिखित बनाये हुए जगह के हिस्से के बारे में अधिकार जो 24, बाराखम्बा मार्ग पर बनने वाली कई मंजिलों की बिल्डिंग में स्थित होगा—पूरी पहली मंजिल, दूसरी मंजिल (3000 वर्ग फीट घटा के) पूरी बारहवीं मंजिल छत के साथ, पहली मंजिल के ऊपर की दुछत्ती, पार्किंग के जगह में की 30 प्रतिशत जगह, और बाकी अन्य जगह जो, अन्तरिती के 24–बाराखम्बा मार्ग के इस डीड़ में उल्लिखित जमीन के अधिकार से सम्बन्धित है।

**No. IAC-ACQ III/73-74/4153.**—Whereas I, C. V. Gupte, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing

No. 24, situated at Barakhamba Road, New Delhi.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Delhi on 27th March, 1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

(1) M/s. Ashoka Estates (P) Ltd., 24 Bara Khamba Road, New Delhi. (Transferor)

(2) Smt. Nirmala Rani W/o Sh. Jatinder Nath r/o C-15, N.D.S.E. Part-II, New Delhi. (Transferee)

(3) M/s. Dewan Chand Builders (P) Ltd. 33-B, Pusa Road, New Delhi. [Person(s) in occupation of the property]

(4) Shri Smt Km. ———————— [Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Rights to a portion of the entire first floor the 2nd floor (less 3000 sq.ft.) part of the 3rd floor, the entire twelfth floor (12th floor alongwith terrace, lofts on the first floor, 30% compact are a in the parking lot on the ground floor, 30% compact area in the upper basement clear of service space provided therein and 30% of any utilisable area on the ground floor in the aforesaid multistoreyed building under construction at No. 2 Bara Khamba Road, New Delhi.—attributable to the transferee's 5/288th share in the undivided right title and interest in the said bungalow.

सं० अ०ई०ए०सी०एक्यु० II/73-74/1453.—यतः, मुझे, सी० वी० गुप्ते आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 24 है, जो बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 27-3-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे

दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :–

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना, और/या ;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर, बनाना ।

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं ।

अतः, अब, धारा 269–ग के अनुसरण में, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :–

1. मैं० अशोका एस्टेटस (प्रा०) लि० (अन्तरक)
   24 बाराम्बम्बा मार्ग, नई दिल्ली
2. श्रीमती निर्मला रानी पत्नी श्री जतिन्दर नाथ (अन्तरिती)
   निवासी सी–15, एन०डी०एस०ई० पार्ट–II नई दिल्ली
3. मैं० दीवान चन्द बिल्डर्स (प्रा०) लि० (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
   33–बी, पूसा मार्ग, नई दिल्ली
4. श्री/श्रीमती/कुमारी ---------- (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :–

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

निम्नलिखित बनाई हुई जगह के हिस्सों के बारे में अधिकार जो 24 बाराखम्बा मार्ग पर बनने वाली कई मंजिलों की बिल्डिंग स्थित होगी—पूरी पहली मंजिल, दूसरी मंजिल (3000 वर्ग फीट घटा के) पूरी बारहवीं मंजिल, छत के साथ, पहली मंजिल के ऊपर की वृछत्ती पार्किंग के जगह में की 30 प्रतिशत जगह, और बाकी अन्य जगह—जो अन्तरिती के 24, बाराखम्बा मार्ग के इस डीड में उल्लिखित जमीन के अधिकार से सम्बन्धित है।

**No. IAC-ACQ II/73-74/4153.**—Whereas I, C. V. Gupte, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing

No. 24, situated at Barakhamba Road, New Delhi.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Delhi on 27th March, 1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

(1) M/s. Ashoka Estates (P) Ltd. 24 Bara Khamba Road, New Delhi. (Transferor)

(2) Km. Radha Rani D/o Sh. Jatinder Nath, C-15, N.D.S.E. Part-II, New Delhi. (Transferee)

(3) M/s. Dewan Chand Builders (P) Ltd. 33-B, Pusa Road, New Delhi. [Person(s) in occupation of the property.]

(4) Shri/Smt./Km.———————— [Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Right to a portion of entire first floor, the second floor, (less 3000 sq. ft) part of the third floor, the entire twelfth floor (12th) floor along with terrace, loft in the first floor, 30% of the compact area in the perking lot on the ground floor, 30%compact area in the upper basement clear of service space provided therein and 30% of any utilisable area on the ground floor in the multistoreyed building under construction at No. 24 Bara Khamba Road, New Delhi—attributable to the transferee's 1/96th share in the undivided right, title and interest in the said Bungalow.

सं० आई० ए० सी०/एक्स०/II/73-74/4153.—यतः, मुझे, सी० बी० गुप्ते आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/—रु० से अधिक है और जिसकी सं० 24 है, जो बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन ..... 19... को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उस से बचने के लिए सुकर बनाना, और/या ;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर, बनाना ।

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20–क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब, धारा 269–ग के अनुसरण में, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269–ध की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै० अशोका एस्टेट्स (प्रा०) लि० 24 बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली (अन्तरक)

2. कुमारी राधा रानी पुत्री श्री जतिन्दर नाथ सी–15, एन०डी० एस० ई० पार्ट–II—नई दिल्ली (अन्तरिती)

3. मै० दीवान चन्द (प्रा०) लि० 33–बी, पूसा मार्ग, नई दिल्ली (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. श्री /श्रीमती/कुमारी ..... (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पति के अर्जन, के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है, कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

**स्पष्टीकरण.**— इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20–क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

## अनुसूची

निम्नलिखित बनाई हुई जगह के हिस्सों के बारे में अधिकार जो 24, बाराखम्बा मार्ग पर बननेवाली कई मंजिलों की बिल्डिंग में स्थित होगी—पूरी पहली मंजिल दूसरी मंजिल (3000 वर्ग फीट घटा के) पूरी बारहवीं मंजिल छत के साथ पहली मंजिल के ऊपर की दुछत्ती पार्किंग के जगह में कं: 30 प्रतिशत जगह, और बाकी अन्य जगह—जो अन्तरिनी के 24 बाराखम्बा मार्ग के इस डीड में उल्लिखित जमीन के अधिकार से सम्बन्धित है ।

**No. IAC-ACQ II/March II/266(III)/73-74/4153.**—Whereas I, C. V. Gupte, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25000/- and bearing.

No. 24, situated at Barakhamba Road, New Delhi.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Delhi on 27th March, 1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with he object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

(1) M/s Ashoka Estates (P) Ltd. 24 Barakhamba Road, New Delhi. (Transferor)

(2) Smt. Shakuntala Rajeshwar Nath D/o Shri Ram Saran Das and W/o Shri Rajeshwar Nath C-15/N.D.S.E. Part II, New Delhi. (Transferee)

(3) M/s. Dewan Chand Builders (P) Ltd. 33-B, Pusa Road, New Delhi. [Person(s) in occupation of the Property]

(4) Shri/Smt./Km.———————————— [Person(s) whom the under signed knows to be interested in the property]

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property

will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Rights to a portion of the entire first floor, the second floor (Less 3000 Sq. Feet) part of the third floor, the entire Twelfth (12th) Floor along with terrace, loft in the first floor, 30% of compact area in the parking lot on the ground floor, 30% compact area in the upper basement clear of service space provided therein and 30% of any utilisable area on the ground floor in the multistoreyed building under construction at No. 24 Barakhamba Road, New Delhi—attributable to the Transferees' 5/288th share in the undivided right, title and interest in the Bungalow No. 24, Barakhamba Road, New Delhi.

सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/II/मार्च II/267 (III)/73-74/4153.—यतः, मुझे, सी० वी० गुप्ते आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 24 है, जो बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है (और इस से उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 27-3-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रति फल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना और/या ;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिति द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर, बनाना ।

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै० अशोका एस्टेट्स (प्रा० ) लि० (अन्तरक)
24 बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली ।

2. श्रीमती शकुन्तला राजेश्वर नाथ पुत्री श्री राम सरन दास पत्नी श्री राजेश्वर नाथ, सी–15, एन डी एस ई पार्ट–II, नई दिल्ली । (अन्तरिती)

3. मे० दीवान चन्द बिल्डर्स (प्रा० ) लि० 33–बी, पूसा मार्ग, नई दिल्ली । (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) ।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी . . (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद् द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिस ने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद् द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

**स्पष्टीकरण.** — इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20–क में यथापरिभाषित हैं, यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

## अनुसूची

निम्नलिखित बनाई हुई जगह के हिस्सों के बारे में अधिकार जो 24, बाराखम्बा मार्ग पर बनने वाली कई मंजिलों की बिल्डिंग में स्थित होगी—पूरी पहली मंजिल, दूसरी मंजिल ( 3000 वर्ग फीट घटा के) पूरी बारहवीं मंजिल, छत के साथ, पहली मंजिल के ऊपर की ढुछत्ती, पार्किंग के जगह में की 30 प्रतिशत जगह, और बाकी अन्य जगह जो अन्तरिती के 24, बाराखम्बा मार्ग के इस डीड में उल्लिखित जमीन के अधिकार से सम्बन्धित है ।

**No. IAC/ACQ./II/73-74/278(III) 4153.**—Whereas I, C. V. Gupte, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing

No. 24, situated at Barakhamba Road, New Delhi.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Delhi on 27th March, 1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

(1) Ashoka Estates (P) Ltd. 24, Bara Khamba Road, New Delhi. (Transferor)

(2) Smt. Jyoti Gupta D/o Shri Rajeshwar Nath W/o Shri Shyam Gupta, C-15, N.D.S.E. Part-II, New Delhi. (Transferee)

(3) M/s. Dewan Chand Builders (P) Ltd. 33-B, Pusa Road, New Delhi. [Person(s) in occupation of the property]

(4) Shri/Smt./Km.———— [Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Right to a portion of entire first floor, the second floor, (less 3000 sq.ft.) part of the third floor, the entire twelfth floor (12th) along with terrace, loft in the first floor, 30%of compact area in the parking lot on the ground floor, 30% compact area in the upper basement clear of service space provided therein and 30% of any utilisable area on the ground floor in the multistoreyed building under construction at No. 24 Bara Khamba Road, New Delhi,—attributable to the transferee's 1/144th share in the undivided right, title and interest in the said Bungalow.

सं०आई०ए०सी०/एक्यु०/II/73-74/278(III)4153.—यतः, मुझे, सी० वी० गुप्ते आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 26 9ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000रु० से अधिक है और जिसकी सं० 24 है, जो बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 27-3-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उस से बचने के लिए सुकर बनाना, और/या ;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर, बनाना।

और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. अशोका एस्टेट्स (प्रा० लि०, 24, बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली। (अन्तरक)

2. श्रीमती/ज्योति गुप्ता पुत्री श्री राजेश्वर नाथ पत्नी श्री श्याम गुप्ता, निवासी सी-15, एन० डी० एस० ई०,-पार्ट-II, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

3. मैसर्स दीवान चन्द (प्रा० ) लि०, 33–बी, पूसा मार्ग, नई दिल्ली । (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. श्री / श्रीमती/कुमारी . . . . (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पति के अर्जन के प्रति इस चना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

**स्पष्टीकरण**:— इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20–क में यथापरिभाषित है, यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

## अनुसूची

निम्नलिखित बनाई हुई जगह के हिस्सों के बारे में जो अधिकार 24, बाराखम्बा मार्ग पर बनने वाली कई मंजिलों की बिल्डिंग स्थित होगी—पूरी पहली मंजिल, दूसरी मंजिल (3000 वर्ग फीट घटा के) पूरी बारहवीं मंजिल, छत के साथ, पहली मंजिल के ऊपर को टुछत्ती, पार्किंग के जगह में को 30 प्रतिशत जगह, और बाकी अन्य जगह—तो अन्तरितों के 24, बाराखम्बा मार्ग के इस डीड में उल्लिखित जमीन के अधिकार से सम्बन्धित है ।

**No. IAC-ACQ II/773-74/4153.**—Whereas I, C. V. Gupte, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing

No. 24, situated at Barakhamba Road, New Delhi.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Delhi on 27th March, 1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

(1) M/S Ashoka Estates (P) Ltd. 24, Barakhamba Road, New Delhi. (Transferor)

(2) Shri Jatindra Nath Son of Late Shri Prem Nath President of C-15, N.D.S.E. Part II, New Delhi. (Transferee)

(3) M/S Dewan Chand Builders (P) Ltd. 33-B, Pusa Road, New Delhi. (Person(s) in occupation of the property)

(4) Shri/Smt/Km ———————————— } (Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Rights to a portion of the entire first floor, the second floor (less 3000 Sq. feet) part of the third floor, the entire twelfth (12th) floor along with terrace, loft in the first floor, 30% of compact area in the parking lot on the ground floor, 30 per cent compact area in the upper basement clear of service space provided therein and 30 percent of any utilisable area on the ground floor in the multistoreyed building under construction at No. 24 Barakhamba Road, New Delhi-attributable to the transferee's 5 288th share in the undivided right, title and interest in the Bungalow No. 24 Barakhamba Road, New Delhi.

सं० आई० ए० सी० एच्० II /73-74 / 4153.—यतः, मुझे, सी० वी० गुप्ते, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० 24 है, जो बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 27-3-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान फल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना, और/या ;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर-अधिनियम) 1922 (1922 का 11) या आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना ।

और यतः; आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं ।

अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अशोका एस्टेट्स (प्रा०) लि० (अन्तरक)
   24 बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली ।
2. श्री जतिन्दरा नाथ पुत्र स्वर्० श्री (अन्तरिति)
   प्रेमनाथ निवासी सी-15, एन० डी०
   एस० ई० , पार्ट-II, नई दिल्ली ।
3. म० दीवान चन्द (प्रा०) लि० (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में
   33-बी, पूसा मार्ग, नई दिल्ली सम्पत्ति है)

4. श्री/श्रीमती/कुमारी . . (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधो-हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है )

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद् द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हों, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

**स्पष्टीकरण** :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

## अनुसूची

निम्नलिखित बनाई हुई जगह के हिस्सों के बारे में जो अधिकार 24, बाराखम्बा मार्ग पर बनने वाली कई मंजिलों की बिल्डिंग स्थित होगी —पूरी पहली मंजिल , दूसरी मंजिल (3000 वर्ग फीट घटाके) पूरी बारहवीं मंजिल, छत के साथ , पहली मंजिल के उपर की दुछत्ती, पार्किंग के जगह में को 30 प्रतिशत जगह ' और बाकी अन्य जगह— जो अन्तरिति के 24 बाराखम्बा मार्ग के इस ओर में उल्लिखित जमीन के अधिकार से सम्बन्धित है ।

**No. IAC-ACQ II/73-74/4153.**—Whereas I, C. V. Gupte, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing

No. 24, situated at Barakhamba Road, New Delhi.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Delhi on 27th March, 1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such

apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

(1) M/S. Ashoka Estates (P) Ltd. 24, Bara Khamba Road, New Delhi. (Transferor)

(2) Shri Deepak Raj Nath S/o Shri Rajeshwar Nath R/o C-15, N.D.S.E. Part-II, New Delhi. (Transferee)

(3) M/S. Dewan Chand (P)Ltd. 33-B, Pusa Road, New Delhi. (Person(s) in occupation of the Property)

(4) Shri/Smt/Km. ———— (Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Rights to a portion of the entire first floor, the second floor (less 3000 sq. ft.) part of the third floor, the entire twelfth (12th) floor alongwith terrace, loft in the first floor, 30 per cent of compact area in the parking lot on the ground floor, 30 per cent compact area in the upper basement clear of service space provided therein and 30 per cent of any utilisable area on the ground floor in the multistoreyed building under construction at No. 24, Bara Khamba Road, New Delhi—attributable to the transferee's 5/288th share in the undivided right, title and interest in the said Bunglow.

सं० आई० ए० सी०/एम्यु०/II/73-74/4153.—यतः, मुझे, सी० वी० गुप्ते आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 24 है, जो बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 27-3-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना और/या ;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिये था, छिपाने के लिए सुकर बनाना।

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैं० अशोका एस्टेट्स (प्रा० ) लि०, 24, बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली (अन्तरक)
2. श्री दीपक राज नाथ पुत्र श्री राजश्वर नाथ निवासी सी-15, एन० डी० एस० ई० -पार्ट-II, नई दिल्ली (अन्तरिती)
3. मैं० दीवान चन्द (प्रा० ) लि०, 33-बी, पूसा मार्ग, नई दिल्ली । (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... ..... ..... (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद् द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उस सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद् द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

**स्पष्टीकरण**:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20—क में यथा-परिभाषित है, यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

## अनुसूची

निम्नलिखित बनाई हुई जगह के हिस्सों के बारे में अधिकार जो 24, बाराखम्बा मार्ग पर बनने वाली कई मंजिलों की बिल्डिंग में स्थित होगी—पूरी पहली मंजिल, दूसरी मंजिल (3000 वर्ग फीट घटा के) पूरी बारहवीं मंजिल, छतके साथ, पहली मंजिल के ऊपर की दुछत्ती पार्किंग के जगह में की 30 प्रतिशत जगह, और बाकी अन्य जगह—जो अन्तरिती के 24 बाराखम्बा मार्ग के इस डीड में उल्लेखित जमीन के अधिकार से सम्बन्धित है।

**No. IAC-ACQ II/73-74/4153.**—Whereas I, C. V. Gupte, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing

No. 24, situated at Barakhamba Road, New Delhi.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Delhi on 27th March, 1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

(1) M/s, Ashoka Estates (P)Ltd., 24 Bara Khamba Road, New Delhi. (Transferor)

(2) Km. Prabha Nath D o Sh. Visheshwar Nath, C-15, N.D.S.E. Part-II, New Delhi. (Transferee)

(3) M/s. Dewan Chand Builders (P)Ltd., 33-B, Pusa Road, New Delhi. (Person(s) in occupation of the property)

(4) Shri/Smt/Km ———————————— (Person(s) whom the under signed knows to be interested in the property)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Right to a portion on the entire first floor, the second floor (less 3000 sq.ft.) part of the third floor, the entire twelfth floor (12th) floor alongwith terrace, loft in the first floor, 30 percent of the compact area in the parking lot on the ground floor, 30 percent compact area in the upper basement clear of service space provided therein and 30percent of any utilisable are on the ground floor in the multistoreyed building under construction at No.24 Bara Khamba Road, New Delhi—attributable transferee's 1/144th share in the undivided right, title and interest in the said Bunglow.

सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/II/73-74/4153.—यतः, मुझे सी० वी० गुप्ते आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० 24 है, जो बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 27-3-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना, और/या ;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए मुकर, बनाना।

और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै० अशोका एस्टेट्स (प्रा०) लि०, 24 बारा खम्बा मार्ग, नई दिल्ली। (अन्तरक)

2. कुमारी प्रभा नाथ पुत्री श्री विशेश्वर नाथ, सी-15 एन०डी०एस०ई०, पार्ट-II, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

3. मै० दीवान चन्द बिल्डर्स (प्रा०) लि०, 33—बी, पूसा मार्ग, नई दिल्ली। (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. श्री/श्रीमती/कुमारी (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

**स्पष्टीकरण** :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

## अनुसूची

निम्नलिखित बनाई हुई जगह के हिस्सों के बारे में अधिकार जो 24, बारा खम्बा मार्ग पर बनने वाली कई मंजिलों की बिल्डिंग में स्थित होगी—पूरी पहली मंजिल, दूसरी मंजिल (3000 वर्ग फीट घटा के) पूरी बारहवीं मंजिल, छत के साथ, पहली मंजिल के ऊपर की दुछत्ती पार्किंग के जगह में की 30 प्रतिशत जगह, और बाकी अन्य जगह—जो अन्तरिती के 24, बाराखम्बा मार्ग के इस डीड में उल्लेखित जमीन के अधिकार से सम्बन्धित है।

**No. IAC-ACQ III/73-74/4153.**—Where I, C. V. Gupte, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 24, situated at Barakhamba Road, New Delhi.

(and more fully described in the Schedule annexed here to), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Delhi on 27th March, 1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

| | |
|---|---|
| (1) M/s. Ashoka Estates, (P) Ltd., 24, Bara Khamba Road, New Delhi. | (Transferor) |
| (2) Smt. Sarita Aggarwal (formerly Kumari Sarita, D/o Sh. Rajeshwar Nath and w/o Shri Ashok Aggarwal, r/o C-15, N.D.S.E. Part-II, New Delhi. | (Transferee) |
| (3) M/s. Dewan Chand Builders (P) Ltd., 33-B, Pusa Road, New Delhi. | [Person(s) in occupation of the property[ |
| (4) Shri Smt/Km..... | [Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property] |

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Right to a portion of entire first floor the second floor, (less 3000 sq. ft.) part of the third floor, the entire twelfth floor (12th) floor along with terace, left in the first floor, 30% of the compact area in the parking lot on theground floor 30 Compact area in theupper basement clear of service space provided therein and 30% of any utilisable area on the ground floor in the multistoreyed building under construction at No. 24, Bara Khamba Road, New Delhi—atuributable to the transferee's 1/144th share in the undivided right title and interest in the said Bungalow.

**सं० आई० ए० सी०/एक्यू/II/73-74/4153.**—यतः मुझे, सी० वी० गुप्ते, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० 24 है, जो बारा खम्बा रोड, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 27-3-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत बिलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर, बनाना।

और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै० अशोका एस्टेट्स (प्रा०) लि०, 24, बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली। (अन्तरक)

2. श्रीमती सरिता अग्रवाल (पहले कुमारी सरिता), पुत्री श्री राजेश्वरी नाथ और पत्नी अशोक अग्रवाल, निवासी सी-15, एन डी एस ई, पार्ट-II, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

3. मै० दीवान चन्द बिल्डर्स (प्रा०) लि०, 33-बी, पूसा मार्ग, नई दिल्ली । (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. श्री/श्रीमती/कुमारी (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और इसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

**स्पष्टीकरण** :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

## अनुसूची

निम्नलिखित बनाई हुई जगह के हिस्सों के बारे में अधिकार जो 24, बारा खम्बा मार्ग पर बनने वाली कई मंजिलों की बिल्डिंग में स्थित होगा:—पूरी पहली मंजिल, दूसरी मंजिल (3000 वर्ग फीट घटा के) पूरी बारहवी मंजिल छत के साथ, पहली मंजिल के ऊपर की दुछत्ती, पार्किंग के जगह में की 30 प्रतिशत जगह, और बाकी अन्य जगह—जो अन्तरिती के 24—बाराखम्बा मार्ग के इस डीड़ में उल्लेखित जमीन के अधिकार से सम्बन्धित है ।

**No. IAC-ACQ II/73-74/4153.**—Where I, C. V. Gupte, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 24, situated at Barakhamba Road, New Delhi.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Delhi on 27th March, 1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds he apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to

between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

| | |
|---|---|
| (1) M/s Ashoka Estates (P) Ltd. 24, Barakhamba Road, New Delhi. | (Transferor) |
| (2) Smt. Aruna Devi D/o Dr. Banwari Lal and wife of Shri Vishwa Nath resident of C-15 N.D. S.E, Part-II, New Delhi. | (Transferee) |
| (3) M/s. Dewan Chand Builders (P) Ltd. 33-B, Pusa Road, New Delhi. | (Person(s) in occupation of the property). |
| (4) Shri/Smt/Km..... ..... | (Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property). |

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Right to a portion of the entire first floor, the second floor (less 3000 sq. feet) part of the third floor the entire twelfth (12th) floor along with terrace, loft in the first floor, 30 of compact area in the parking lot on the ground floor, 30 compact area in the upper basement clear of service space provided therein and 30% of any utilisable area on the ground floor in the multi-storeyed building under construction at No. 24 Barakhamba Road, New Delhi—attributable to the transferee's 5/288th share in the undivided right, title and interest in the Bungalow No. 24 Barakhamba Road, New Delhi.

सं० आई० ए० सी/एक्यू०/II/73-74/4153.—यतः, मुझे, सी० बी० गुप्ते आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 24 है, जो बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 27-3-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना, और/या ;

ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर, बनाना।

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1. मैं० अशोका एस्टेट्स (प्रा०) लि० . . . . . (अन्तरक)
   24 बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली
2. श्रीमती अरुना देवी पुत्री डा० बनवारीलाल और पत्नी श्री विश्व नाथ (अन्तरिती)
   निवासी सी-15, एन०डी०एस०ई० पार्ट-II नई दिल्ली
3. मैं० दीवान चन्द बिल्डरस (प्रा०) लि० . . (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
   33-बी, पूसा मार्ग, नई दिल्ली
4. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... (वह व्यक्ति जिसके बारे में
   ..... अधोहस्ताक्षरी जानता है कि
   ..... वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

निम्नलिखित बनाई हुई जगह के हिस्सों के बारे में अधिकार जो 24, बाराखम्बा मार्ग पर बनने वाली कई मंजिलों की बिल्डिंग स्थित होगी—पूरी पहली मंजिल, दूसरी मंजिल (3000 वर्ग फीट घटाके) पूरी बारहवीं मंजिल, छत के साथ, पहली मंजिल के ऊपर की बुलती, पार्किंग के जगह में की 30 प्रतिशत जगह, और बाकी अन्य जगह—जो अन्तरिती के 24, बाराखम्बा मार्ग के इस ढोड़ में उल्लिखित जमीन के अधिकार से सम्बन्धित है।

**No. IAC-ACQ II/73-74/4153.**—Whereas I, C. V. Gupte, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 24, situated at Barakhamba Road, New Delhi.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Delhi on 27th March, 1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

(1) M/s. Ashoka Estates (P) Ltd. 24, Bara Khamba Road, New Delhi. (Transferor)

(2) Shri Robindra Nath son of Shri Jatindra Nath, C-15, N.D.S.EW Part-II, New Delhi. (Transferee)

(3) M/s. Dewan Chand Builders (P) Ltd. 33-B, Pusa Road, New Delhi. (Person(s) in occupation of the property)

(4) Shri/Smt/Km..... (Person(s) whom the under signed knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Right to a portion of the entire first floor, the second floor (less 3000 sq. ft.) part of the third floor, the entire twelfth floor (12th) floor along with terrace loft in the first floor, 30% compact area in the upper basement clear of service space provided therein and 30% of any utilisable area on the ground floor in the multistoreyed building under construction at No. 24 Bara Khamba Road, New Delhi—attributable to the transferee's 5.283th share in the undivided right, title and interest in the Bunglow Plot No. 24 Bara Khamba Road, New Delhi.

सं० आई०ए०सी०/एक्यू०/II/73-74/4153.—यत, मुझे, सी० वी० गुप्ते आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 24 है, जो बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 27-3-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना, और/या ;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आय-कर अधिनियम, 1961 (1961

का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर, बनाना ।

और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं ।

अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. मैं० अशोका एस्टेट्स (प्रा०) लि० (अन्तरक)
   24 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली

2. श्री रोविन्द्रा नाथ सुपुत्र श्री जतिन्दरानाथ, (अन्तरिती)
   सी–15, एन०डी०एस०ई० पार्ट–II, नई दिल्ली

3. म० दीवान चन्द बिल्डर्स (प्रा०) लि० (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
   33–बी, पूसा मार्ग, नई दिल्ली

4. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)
   .....
   .....

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद् द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

## अनुसूची

निम्नलिखित बनाई हुई जगह के हिस्सों के बारे में अधिकार जो 24, बाराखम्बा मार्ग पर बनने वाली कई मंजिलों की बिल्डिंग स्थित होगी—पूरी पहली मंजिल, दूसरी मंजिल (3000 वर्ग फीट घटाके) पूरी बारहवीं मंजिल, छत के साथ, पहली मंजिल के ऊपर की दुछत्ती पार्किंग के जगह में की 30 प्रतिशत जगह, और बाकी अन्य जगह—जो अन्तरिती के 24, बाराखम्बा मार्ग के इस डीड़ में उल्लिखित जमीन के अधिकार से सम्बन्धित है।

No. IAC-ACQ II/73-74/4153.—Whereas I, C. V. Gupte, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing

No. 24, situated at Barakhamba Road, New Delhi.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Delhi on 27th March, 1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

| | |
|---|---|
| (1) M/s. Ashoka Estates (P) Ltd. 24, Bara Khamba Road, New Delhi. | (Transferor) |
| (2) Smt. Nirmala Rani D/o Rai Bahadur Atama Ram W/o Sh. Jatinder Nath R/o C-15, N.D.S.E. Part-II, New Delhi | (Transferee) |
| (3) M/s. Dewan Chand Builders (P) Ltd. 33-B Pusa Road, New Delhi. | (Person(s) in occupation of the property) |
| (4) Shri/Smt/Km..... ..... | (Person(s) whom the under signed knows to be interested in the property). |

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Right to a portion of the entire first floor, the second floor (less 3000 sq. ft.) part of the third floor, the entire twelfth floor (12th) floor along with terrace, loft in the first floor, 30% compact area in the upper basement clear of service space provided therein and 30% of any utilisable area on the ground floor in the multistoreyed building under construction at No. 24 Bara Khamba Road, New Delhi—attributable to the transferee's 5/288th share in the undivided right, title and interest in the Bunglow Plot No. 24 Bara Khamba Road, New Delhi.

सं० आई० ए० सी० /एक्यु०/ II /73-74/4153.—यतः, मुझे, सी० वी० गुप्ते आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/—रु० से अधिक है और जिसकी सं० 24 है, जो बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 27-3-1973 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उस से बचने के लिए सुकर बनाना, और/या ;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर, बनाना ।

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं ।

अतः, अब, 269-ग के अनुसरण में, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. मै० अशोका एस्टेट्स (प्रा०) लि० (अन्तरक)
24 बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली

2. श्रीमति निर्मला रामी पुत्री राय बहादुर आत्मा राम पत्नी श्री जगन्नाथ निवासी सी–15, एन०डी० एस० ई० पार्ट–II–नई दिल्ली । (अन्तरिती)

3. मै० दीवान चन्द (प्रा०) लि० पूसा मार्ग, नई दिल्ली । 33–बी, (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है )

4. श्री /श्रीमती/कुमारी ..... (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है )

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

**स्पष्टीकरण** :— इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20–क में यथा-परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

## अनुसूची

निम्नलिखित बनाई हुई जगह के हिस्सों के बारे में अधिकार जो 24, बाराखम्बा मार्ग पर बनने वाली कई मंजिलों की बिल्डिंग स्थित होगी—पूरी पहली मंजिल, दूसरी मंजिल (3000 वर्ग फीट घटाके ) पूरी बारहवीं मंजिल, छत के साथ, पहली मंजिल के ऊपर की छत्ती, पार्किंग की जगह में की 30 प्रतिशत जगह, और बाकी अन्य जगह—जो अन्तरिती के 24 बाराखम्बा मार्ग के इस डीड में उल्लिखित जमीन के अधिकार से सम्बन्धित है ।

**No. IAC/ACQ.II/73-74/4155.**—Whereas I, C. V. Gupte, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Part of constructed space situated at No. 18 Bara Khamba Road, New Delhi.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Delhi on 29-3-1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

(1) M/s. Kailash Nath and Associates through its partner Shri Kailash Nath S/o Late, Shri Kali Charan R/o 23 Curzon Road, Himalaya House, New Delhi. (Transferor)

(2) Shri Anil Kumar S/o Shri Rishi Ram R/o 4 Babar Road, New Delhi. (Transferee)

(3) Shri/Smt./Km ———— (Person(s) in occupation of the property)

(4) Shri/Smt/Km ———— (Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person, who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1065 sq. ft. floor area of constructed space on 1st & 2nd floor in the multi storeyed building at No. 18 Bara Khamba Road, New Delhi.

सं० आई० ए०/सी०/एक्यू०/ II /73–74/4155.—यतः, मुझे, सी० वी० गुप्ते आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं०बने हुए भाग का हिस्सा है, जो 18, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 29 मार्च, 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना, और/या ;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आय-कर अधिनियम, 1961(1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर, बनाना ।

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20–क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं ।

अतः, अब, धारा 269–ग के अनुसरण में, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269–घ की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. मै० के लाल नाथ और एसोसिएट्स द्वारा उसके हिस्सेदार (अन्तरक)
कैलाश नाथ सुपुत्र श्री काली चरन निवासी
23, कर्जन रोड, हिमालया हाउस, नई दिल्ली ।

2. श्री अनिल कुमार सुपुत्र श्री हिंसी राम (अन्तरिती)
निवासी 4, बाबर रोड़ नई दिल्ली ।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी . . . (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में
. . . . सम्पत्ति है)

4. श्री /श्रीमती/कुमारी ..... (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधो-
..... हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति
..... में हितबद्ध है ) ।

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण :— इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

## अनुसूची

1056 वर्ग फीट बना हुआ भाग जो कि पहली और दूसरी मंजिल यल्टि स्टोरी बिल्डिंग, 18, बाराखम्बा रोड़, नई दिल्ली में स्थित है ।

**No. IAC/ACQ.II/73-74/4170.**—Whereas I, C. V. Gupte, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Part of constructed space situated at No. 18 Bara Khamba Road, New Delhi.

(and more fully described in the Schedule annexed here to), has been transferred as per deed registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office office of the registering officer at Delhi on 29-3-1973, for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

(1) M/s. Kailash Nath & Associates through its partner Shri Kailash Nath S/o Late Shri Kali Charan R/o 23, Curzon Road, Himalaya House, New Delhi. (Transferor)

(2) Smt. Mohini Ram, Wife of Shri Kesho Ram, I.C.S., R/o 4, Tuglak Road, New Delhi. (Transferee)

(3) Shri/Smt./Km.———————————[(Person(s) in occupation of the property].

(4) Shri/Smt./Km.———————————[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1583 sq. ft. floor area of constructed space on 3rd and 1st floor in the Multi Storeyed building at 18, Bara Khamba Road, New Delhi.

सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/II/7374/4158.—यतः मुझे, सी० वी० गुप्ते आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० बने हुए भाग का हिस्सा है, जो 18, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में स्थित है (और इस से उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 29-3-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उस से बचने के लिए सुकर बनाना और/या;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना ।

और यतः आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. म० कैलाश नाथ और एसोसिएट्स द्वारा उस के हिस्सेदार कैलाश नाथ सुपुत्र श्री काली चरण निवासी 23, कर्जन रोड, हिमालय हाऊस, नई दिल्ली । (अन्तरक)

2. श्रीमती मोहिनी राम पत्नी श्री केशो राम, निवासी 4, तुगलक रोड, नई दिल्ली । (अन्तरिती)

3. श्री/श्रीमती/कुमारी । (वह व्यक्ति जिसके अभिभोग में सम्पत्ति है ) ।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी । (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधो-हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) ।

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिस ने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

**स्पष्टीकरण** :— इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20–क में यथा परिभाषित हैं, यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

## अनुसूची

1583 वर्ग फीट बना हुआ भाग जो कि तीसरी और पहली मंजिल मल्टि-स्टोरी बिल्डिंग, 18 बाराखम्बा रोड़, नई दिल्ली में स्थित है ।

**No. IAC/ACQ II/73-74/4161.**—Whereas I. C. V. Gupte, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- part of constructed space situated at No. 18 Barakhamba Road, New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Delhi on 30-3-1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of: —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

(1) M/s. Kailash Nath and Associates through its partner Shri Kailash Nath S/o Late Shri Kali Charan R/o 23 Curzon Road, Himalaya House, New Delhi. (Transferor)

(2) Shri Ganga Ram, Shri Ashok Kumar, Smt. Mahju Rani and Kumari Anuradha the legal heirs of Late Smt. Pratibha Devi wife of Shri Ganga Ram resident of D—388, Defence Colony, New Delhi. (Transferee)

(3) Shri/Smt./Km. ———— [Person(s) in occupation of the Property)

(4) Shri/Smt/Km. ———— [(Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who have made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1056 sq. ft. floor area of constructed space on first floor in the multi storeyed building at No. 18 Bara Khamba Road, New Delhi.

सं० आई० ए० सी० /एक्यू० /II/73-74/4161.— यतः, मुझे, सी० बी० गुप्ते आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० बने हुए मकान का हिसा है, जो 18 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में स्थित है (और इस से उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 30 मार्च 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के

दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उस से बचने के लिए सुकर बनाना और/या;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिति द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर, बनाना ।

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैं० कैलाश नाथ और उसके साझीदार द्वारा श्री कैलाश नाथ सुपुत्र स्वर्० श्री काली शरन निवासी 23 कर्जन रोड, हिमालय हाऊस, नई दिल्ली । (अन्तरक)

2. श्री गंगा राम, श्री अशोक कुमार, श्रीमति मंजु रानी और कुमारी अनुराधा कानूनी अधिकारी स्वर्० श्रीमती प्रतीभा देवी पत्नी श्री गंगा राम निवासी डी 388, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली । (अन्तरिती)

3. श्री/श्रीमती/कुमारी (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. श्री/श्रीमती/कुमारी . . (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिस ने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

**स्पष्टीकरण** :— इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

**अनुसूची**

1056 वर्ग फीट बना हुआ हिस्सा जो कि पहली और दूसरी मंजिल मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग, 18 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में है ।

**No. IAC/ACQ.II/73-74/4164.**—Whereas I, C. V. Gupte, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds ceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Part of construction area space situated at No. 18 Barakhamba Road, New Delhi.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Delhi on 30-3-1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transfer(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

(1) M/S. Kailash Nath and Associates through its partner Shri Kailash Nath S/o Late Shri Kali Charan, R/o.23, Curzon Road, Himalaya House, New Delhi. (*Transferor*)

(2) Shri Ganga Ram S/o Late Shri Ram Resident of D-388, Defence Colony, New Delhi. (*Transferee*)

(3) Shri/Smt/Km ———— (Person(s) in Occupation of the property)

(4) Shri/Smt/Km———— (Person(s) whom the under signed knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person, who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1056 sq. ft. floor area of constructed space on 2nd & 1st floor in the Multi storcyed building at No. 18 Bara Khamba Road; New Delhi.

स० आई० ए० सी०/एक्य्०/ /73-74/4164.—यतः, मुझे, सी० बी० गुप्ते आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० बने हुए मकान का हिस्सा है, जो बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 30 मार्च, 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख

के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उस से बचने के लिए सुकर बनाना, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना।

और यतः, आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20—क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब, धारा 269—ग के अनुसरण में, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269—घ की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

1. मैं० कैलाश नाथ और उसके साझेदार द्वारा श्री कैलाश नाथ सुपुत्र श्री कानी चरन, निवासी 23 कर्जन रोड, हिमालय हाउस, नई दिल्ली (अन्तरक)

2. गंगा राम सुपुत्र स्व० श्री राम निवास डी-388 डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली (अन्तरिती)

3. श्री/श्रीमती/कुमारी . . . . . (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. श्री/श्रीमती/कुमारी . . . . . (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद् द्वारा शुरू कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

**स्पष्टीकरण** :— इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20–क में यथापरिभाषित है, यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

## अनुसूची

1056 वर्ग फीट बना हुआ हिस्सा जो कि भूतल और दूसरी मंजिल मल्टा स्टोरे बिल्डिंग, 18 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में है ।

**No. IAC/ACQ.II/73-74/4158.**—Whereas I, C. V. Gupte, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25000 and bearing.

No part of constructed space situated at No. 18 Barakhamba Road, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering office at Delhi on 29-3-1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under

sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

(1) M/s. Kailash Nath and Associates through its partner Shri Kailash Nath S/o Late Shri Kali Charan R/o 23 Curzon Road, Himalaya House, New Delhi (*Transferor*)

(2) Smt. Asha Gupta W/o Shri Rishi Ram R/o 4 Babar Road, New Delhi (*Transferee*)

(3) Shri/Smt/Km———————————(Person(s) in occupation of the property)

(4) Shri/Smt./Km ———————————(Person(s) whom the under signed knows to be interested in the property

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person, who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1056 sq. ft. floor area of constructed space on 2nd floor in the Multi storeyed building at No. 18 Bara Khamba Road, New Delhi.

सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/ II/73-74/4167.—यतः, मुझे, सी० वी० गुप्ते आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 24 है, जो बाराखम्बा मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 27-3-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उस से बचने के लिए सुकर बनाना, और/या ;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर, बनाना ।

और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए हैं

अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै० कैलाश नाथ और एसोसियट्स द्वारा उसके हिस्सेदार कैलाश नाथ सुपुत्र स्वर्गीय कानी चरन निवासी 23, कर्जन रोड, हिमालय हाउस, नई दिल्ली (अन्तरक)

2. श्रीमती आशा गुप्ता पत्नी श्री रिसों राम निवासी 4 बाबर रोड, नई दिल्ली (अन्तरिती)

3. श्री/श्रीमती/कुमारी (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. श्री/श्रीमती/कुमारी . . . . (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि यह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद् द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद् द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण :— इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

1056 वर्ग फीट क्षेत्र जो कि दूसरी और तीसरी मंजिल मल्टि स्टोरी बिल्डिंग 18 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में है ।

**No. IAC/ACQ.II/73-74/4170.**—Whereas I, C. V. Gupte, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Part of constructed space situated at No. 18 Bara Khamba Road, New Delhi.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Delhi on 29-3-1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

(1) M/s. Kailash Nath and Associates through its partner Shri Kailash Nath S/o Late Shri Kali Charan R/o 23 Curzon Road, Himalaya House, New Delhi. (Transferor)

(2) Shri Rishi Ram S/o Late Shri Siv Ram, 4, Babar Road, New Delhi. (Transferee)

(3) Shri/Smt./Km.———————————— (Person(s) in occupation of the property)

————————————————

(4) Shri/Smt./Km.———————————— (Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property.

————————————————

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person, who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceeding paragreph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XX A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1056 sq. ft. floor area of constructed space on 2nd & 3rd floor in the multi storeyed building at No. 18 Bara Khhmba Road; New Delhi.

**सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/II/73-74/4170.**—यतः, मुझे, सी० बी० गुप्ते आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० बने हुए मकान का भाग है, जो 18 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में स्थित है, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 29-3-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना, और/या ;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर, बनाना ।

और यतः; आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै० कैलाश नाथ और एसोसियेट्स द्वारा उसके हिस्सेदार कैलाश नाथ सुपुत्र स्वर्गीय काली चरन निवासी 23, कर्जन रोड, हिमालय हाउस, नई दिल्ली । (अन्तरक)

2. श्री रिसो राम सुपुत्र स्व० श्री शिव राम, (अन्तरिती)
4 बाबर रोड, नई दिल्ली

3. श्री/श्रीमती/कुमारी . . . (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. श्री/श्रीमती/कुमारी . . . (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए एतद् द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद् द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

**स्पष्टीकरण** :—इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20—क में यथापरिभाषित है, यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

## अनुसूची

1056 वर्ग फीट क्षेत्र जो कि दूसरी और तीसरी मंजिल मल्टि स्टोरी बिल्डिंग 18 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में है ।

सी० वि० गुप्ते

तारीख 24 सितम्बर, 1973

सहायक आकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1/2, दिल्ली, नई दिल्ली ।

मोहर :

**No. IAC/ACQ. II/73-74/4173.**—Whereas I, C. V. Gupte, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing—

Plot of constructed space situated at No. 18 Bara Khamba Road, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Delhi on 30th March, 1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent property and I have reason to believe that the fair market value of the property as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me,

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

(1) M/s. Kailash Nath & Associates through its partner Shri Kailash Nath S/o Late Shri Kali Charan R/o 23, Curzon Road, Himalaya House, New Delhi . . . . . (Transferor)

(2) Shri Kesho Ram, I.C.S. S/o Late Shri Shri Ram R/o 4, Tughlak Road, New Delhi . . (Transferee)

(3) Shri/Smt/Km. ———— } [Person(s) is occupation of the property].

(4) Shri/Smt Km. ———— } [Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition, of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

792 sq. ft. floor area of constructed space in 1st floor on the Multistoreyed building at No. 18 Bara Khamba Road, New Delhi.

सं० आई० टी० सी० एच० II /73-74/4173.—यतः, मुझे, सी० बी० गुप्ते आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० बने हुए प्लाट का हिस्सा है, जो 18 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 29-3-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरिती की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना, और/या ;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर-अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना ।

और यतः आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैं कैलाश नाथ और एसोसियेट्स द्वारा उसके हिस्सेदार कैलाश नाथ सुपुत्र स्व० श्री कालो चरन, (अन्तरक)
निवास 23 कर्जन रोड़, नई दिल्ली (हिमालय हाउस)

2. श्री केशोराम, आई सी एस, सुपुत्र स्व० श्री हिसोराम निवासी 4 तुगलग रोड़, नई दिल्ली (अन्तरिती)

3. श्री/श्रीमती/कुमारी ... ... ... (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

4. श्री/श्रीमती/कुमारी ... ... ... (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद् द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

**स्पष्टीकरण** :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

## अनुसूची

792 वर्ग फीट क्षेत्र जो कि पहली मंजिल (मल्टी स्टोरी) बिल्डिंग 18 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में बना है ।

**No. IAC/ACQ II/73-74/4176.**—Whereas I, C. V. Gupte, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Part of constructed space situated at No 18, Bara Khamba Road, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Delhi on 29th March, 1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee

for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

(1) M/s. Kailash Nath and Associates through its partner Shri Kailash Nath S/o Late Shri Kali Charan R/o 23 Curzon Road, Himalaya House, New Delhi . . . (Transferor)

(2) Smt. Bubble Goel (Maiden Name Miss Veena Ram) W/o Shri Parveen Goel, 4, Tughlak Road, New Delhi. . . . . (Transferee)

(3) Shri/Smt./Km. ———— } [Person(s) in occupation of the property]

(4) Shri/Smt./Km. ———— } [Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property.]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

792 sq. ft. floor area of Constructed space on first floor in multi storeyed building at No. 18 Bara Khamba Road, New Delhi.

सं० आई० ए० सी०/एक्यु० II/73-74/4176.—यतः, मुझे, सी० वी० गुप्ते आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० बने हुए भाग का हिस्सा है, जो 18, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 29-3-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर, बनाना।

और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै० कैलाश नाथ और एसोसिएटस द्वारा उसके हिस्सेदार श्री कैलाश नाथ सुपुत्र स्व० काली चरण निवासी 23, कर्जन रोड, हिमालय हाउस, नई दिल्ली। (अन्तरक)
2. श्रीमती बब्बल गोयल (मैडन नाम मिस वीना राम) पत्नी श्री प्रवीन गोयल, 4 तुगलक रोड, नई दिल्ली। (अन्तरिती)
3. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किये गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित है, यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

## अनुसूची

792 वर्ग फीट बने हुए तीसरी मंजिल (मिल्ट स्टोरी बिल्डिंग का भाग जो कि 18, बारा खम्बा रोड, नई दिल्ली में है।

**No. IAC/ACQ.II/73-74/4179.**—Whereas I, C. V. Gupte, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing—

Part of constructed space situated at No. 18 Bara Khamba Road, New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering office at Delhi on 30th March, 1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

(1) M/s. Kailash Nath & Associates through its partner Shri Kailash Nath, S/o Late Kali Cahran, R/o 23, Curzon Road, Himalaya House, New Delhi . . . . . (Transferor)

(2) Shri Ashok Kumar, S/o Shri Ganga Ram, R/o D-388, Defence Colony, New Delhi . . . (Transferee)

(3) Shri/Smt./Km. ——————————— (Person(s) in occupation of property)

(4) Shri/Smt/Km. ——————————— (Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1056 sq. ft. floor area of constructed space on 3rd floor in the Multi Storeyed building at No. 18 Bara Khamba Raod, New Delhi.

C. V. GUPTE.
Competent Authority
(Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range II) Delhi/New Delhi.

Dated: 24th September, 1972.
Seal.

*Strike off where not applicable.

सं० प्रा०नि० ए० सं०/एक्यु०/II/73-74/4179.—यतः, मुझे, सं० वि० अधि० के आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० बने हुए भाग का हिस्सा है जो 18 बाखर रोड, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 30-3-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्यसे कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्त-रितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना और/या ;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना।

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैं० कैलाश नाथ और एसोसिएट्स द्वारा उसके हिस्सेदार श्री कैलास नाथ सुपुत्र स्व० श्री काली चरण निवासी 23, कर्जन रोड, हिमालय हाउस, नई दिल्ली। (अन्तरक)
2. श्री अशोक कुमार सुपुत्र श्री गंगा राम निवासी डी० 388, डिफेन्स कालोनी नई दिल्ली (अन्तरिती)
3. श्री/श्रीमती/कुमारी (वह व्यक्ति जिसके अधिभाग में सम्पत्ति है)
4. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उस सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

**स्पष्टीकरण** :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित है, यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1056 वर्ग फीट बने हुए तीसरी मंजिल (मल्टी स्टोरी) बिल्डिंग का भाग जो कि 18 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में हैं।

सी० वी० गुप्ते,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 2, दिल्ली, नई दिल्ली।

24 सितम्बर, 1973
मोहर :

*(जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

**OFFICE OF THE COMPETENT AUTHORITY, INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE IV, CALCUTTA.**

Notice Under Section 269D(1) of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)

*Calcutta, the 21st September 1973*

**No. AC 17/R-IV/Cal/73-74.**—Whereas, I, M. N. Tiwary, being the competent authority under section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing

No 28, Shyamnagar Road, Calcutta, situated at P. S. Dum Dum, Distt. 24,Parganas.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer Registrar of Assurances, Calcutta on 2nd March, 1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferees for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

*Transferor*

Smt. Labany Datta, W/o Shri Amalendu Datta,
104 Keshab Chandra Sent Street, Calcutta.

*Transferee*

1. Shri Sudhir Chandra Das,
2. Shri Prasanta Chandra Das,
3. Shri Samir Kumar Das,
4. Shri Prabir Kumar Das,
5. Shri Sanat Kumar Das
6. Monojit Kumar Das,

All of 24/1, Mohan Bagan Row, Calcutta-4.

*Person in occupation of the property*

*Person whom the undersigned knows to be interested in the property*

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Southern portion of 28 Shyamnagar Road, Dum Dum containing 1 bigha 16 cottahs 14 chittaks and 9 sq. ft. land in Touzi No. 228 and 229, Mouza Krishnapur, P.S. Rajarhat together with a one-roomed brick built building with one privy and one bath.

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज IV कलकत्ता का कार्यालय

आयकर अधिनियम, 1961–1962 का 43 की धारा 269ब/1/के अधीन सूचना

कलकत्ता, 21 सितम्बर 1973

सं० ए०सी०–17/आर०–IV/कैल/73–74.—यतः, मुझे एम० एन० तिवारी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/– रु० से अधिक है और जिसकी सं० 28 है, जो श्यामनगर रोड, कलकत्ता में स्थित है, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय रेजिस्ट्रार आफ असोरियैन्सेस में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 1973 की 2 मार्च को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक-अन्तरको और अन्तरिती-अन्तरितियों के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रति फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिये सुकर बनाना और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961) 1961

का 43) या धनकर अधिनियम, 1957(1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने के लिए सुकर बनाना,

और यतः आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) के अध्याय 20 क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गए हैं।

अतः अब, धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती लावण्य दत्ता स्वामी अमलेन्दू दत्ता — अन्तरिक
104 केशव चन्द्र सेन स्ट्रीट कलकत्ता।

(1) श्री सुधीर चन्द्र दास — अन्तरिती
(2) श्री प्रशान्त चन्द्र दास
(3) श्री समीर कुमार दास
(4) श्री प्रबीर कुमार दास
(5) श्री शरद कुमार दास
(6) श्री मनोजित कुमार दास
24/1 मोहन बगान रोड, कलकत्ता-4।

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के एतदद्वारा कार्यवाहियां करता हू।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा :—

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर संपत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी,

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

28 श्यामनगर रोड, दमदम, तौजी नं० 228 एवं 229, मौजा; कृष्णपुर, थाना: राजारहाट, के दक्षिण हिस्से में स्थित 1 बिघा, 26 कट्टा 14 घटाक एवं 9 स्कोयर फिट जमीन और उस पर बना एक मजला मकान।

**No. Ac/16/R-IV/Cal/73-74.**—Whereas, I M. N. Tiwary, being the competent authority under section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing

15, Kali Kumar Banerjee Lane, Calcutta-2, situated at P. S. Chitpur, Distt. 24, Parganas,

(and more fully described in the Schedule annexed here to), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer Registrar of Assurances, Calcutta on 7th March, 1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferors to pay tax under the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acqusition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

*Transferors*

1. Shri Gour Gopal Mitra
2. Smt. Anjali Mitra both of 15, Kali Kumar Banerjee Lane, Calcutta-2.

*Transfree*

1. Shri Phulchand Mullick
2. Shri Ranjit Mullick of 1 Hari Bose Lane, Calcutta-6.

*Person in occupation of the property.*

*Person whom the undersigned knows to be interested in the Property.*

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be hard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Undivided 1/3rd share of a partly one storeyed and party three storeyed brick built messuage tenement together with piece of revenue freel and containing in its entirety an area of 12 cottahs 3 chittacks being premises No. 15, Kali Kumar Banerjee Lane, Calcutta-2, P. S. chitpur, Distt. 24-Parganas.

सं० ए०सी०—16/आर० IV/कल 73—74. यतः, मुझे, एम० एन० तिवारी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/—रु० से अधिक है और जिसकी सं० 15 है, जो कालि कुमार बनर्जी लेन कलकत्ता-2 थाना चितपुर जि० 24-परगना में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रजिस्ट्रार आफ असोरियन्सेस कलकत्ता में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 1973 7 मार्च को पूर्वी सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने की कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक/अन्तरकों और अन्तरिती/अन्तरितियों के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिये सुकर बनाना और;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का (II) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने के लिए सुकर बनाना,

और अतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20 क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गए हैं।

अतः, अब, धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269–घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1—श्रीमती/श्री गौर गोपाल मित्र अंजाली मित्र 15, काली कुमार बनर्जी लेन कलकत्ता-2 अन्तरक

2—श्री फूल चन्द मलिक श्री रजीत मलिक, 1 हरी बोस लेन कलकता–6 अन्तरिती

(3) श्री/श्रीमती/कुमारी.....वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है

(4) श्री/श्रीमति/कुमारी.....वह व्यक्ति जिसके बारे में आधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध हैं ।

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद से समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधी-हस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर संपत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

स्पष्टिकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20–क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

15 कालि बनार्जी लेन, कलकत्ता, थाना चितपुर, डि० 24 परगणा स्थित 12 कठ्ठा 3, छटाक जमिन पर बना थोड़ा 1 तल्ला, थोड़ा 3 तल्ला मकान का 1/3 हिस्सा ।

**No. Ac/15/R-IV/Cal/73-74.**—Whereas I, M. N. Tiwary, being the competent authority under section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearin—

No. 15, Kali Kumar Banerjee Lane, Calcutta-2 situated at P. S Chitpur, Distt. 24, Parganas.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer Registrar of Assurances, Calcutta on 7th March, 1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the

property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor(s) to pay tax under the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

*Transferor*

1. Shri Achyutananda Mitra

2. Sm. Sabitri Mitra
both of 15, Kali Kumar Banerjee Lane, Clacutta-2.

*Transferee*

Shri Phulchand Mallick
of 1 Hari Bose Lane, Calcutta-6.

*Person in occupation of the property.*

*Person whom the undersigned knows to be interested in the Property.*

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the

*Explanation*:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Undivided 1/3rd share of a partly one storeyed and partyly three storeyed brick built messuage and tenement together with piece of revenue free land containing in its entirety an area of 12 cottahs 3 chittacks being premises No. 15, Kali Kumar Banerjee Lane, Clacutta-2, P. S. Chitpur, Distt. 24-Parganas.

सं० ए० सी०–15/आर० IV कैल०/73–74.—यतः, मुझे, एम० एन० तिवारी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/– रु० से अधिक है और जिसकी सं० 15 है, जो कालि कुमार बनार्जी लेन कलकत्ता–2 थाना चितपुर, जि० 24 परगणा में स्थित है, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय रजिस्ट्रार ओफ असोरियैन्सेस, में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कलकत्ता 1908 (1908 का 16) के अधीन 1973 7 मार्च को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य या उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि, अन्तरक/अन्तरकों और अन्तरिती/अन्तरितियों के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिये सुकर बनाना और ;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922(1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम, 1957(1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने के लिए सुकर बनाना,

और यतः आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43)के अध्याय 20 क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गए हैं।

अतः, अब, धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 269–घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

श्री अच्युतानन्द मित्र

| | |
|---|---|
| 1. श्रीमति सावित्री मित्र, 15 कालि कुमार बनर्जी लेन कलकत्ता–2 | अन्तरक |
| 2. श्री फुल चन्द्र मल्लिक श्री 1 हरि बोस लेन कलकत्ता–6 | अन्तरिती |
| 3. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... | (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पति है । |
| 4. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... | (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) |

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के लिए अर्जन के एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधो-हस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

## अनुसूची

15 कालि कुमार बनर्जी लेन, कलकत्ता-2, थाना चितपुर, जि : 24-परगना स्थित 12 कठ्ठा 3 छटांक जमीन पर कोडा एक तल्ला, कोटन 39 तल्ला मकान का 1/3 हिस्सा।

**No. Ac/14/R-IV/Cal/73-74.**—Whereas, I M. N. Tiwary, being the competent authority under section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing

No. 15, Kali Kumar Banerjee Lane, Calcutta-2, situated at P. S. Chitpur, Distt 24 Parganas

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer, Registrar of Assurances, Calcutta on 7th March, 1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor and the transferee has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferors to pay tax under the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

*Transferors*

1. Shri Nirad Baran Mitra

2. Sm. Arati Mitra

both of 15, Kali Kumar Banerjee Lane, Calcutta-2.

*Transferee*

Shri Ranjit Mullick

of 1 Hari Bose Lane, Calcutta-6.

*Person in occupation of the property.*

*Person whom the undersigned knows to be interested in the property*

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation*:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Undivided 1/3rd share of a partly one storeyed and partly three storeyed brick built messuage and tenement together with piece of revenue free land containing in its entirety an area of 12 cottahs 3 chittacks being premises No. 15 Kali Kumar Banerjee Lane, Clacutta-2, P.S. Chitpur Distt. 24-Parganas.

सं० ए०सी०-14/आर०-IV/कैल/73-74.—यतः, मुझे एम० एन० तिवारी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० 15 है, जो काली कुमार बनार्जी लेन, कलकत्ता-2, थाना चितपुर जि : 24 परगणा स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रजिस्ट्रार आफ असोरियेन्सेस, कलकत्ता में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 7 मार्च, 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के

उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिये सुकर बनाना, और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने के लिए सुकर बनाना।

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री नीरोद वरण मित्र । | | |
| 2. | श्री/श्रीमती आरती मित्र | अन्तरक | 15, कालि कुमार बनर्जी लेन, कलकत्ता—2 । |
| 3. | श्री रंजित मल्लिक | अन्तरिती | 1 हरि बोस लेन, कलकत्ता—6 । |

वह व्यक्ति ।

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

15 कालि कुमार बनर्जी लेन, कलकत्ता-2, थाना चितपुर, जिला 24-परगणा स्थित 12 कट्टास 3 छटांक जमीन और उस पर बनी कोहैन 1 तल्ला और खेड़ा, 3 तल्ला मकान का 1/3 हिस्सा।

**No. Ac-13/R-IV/Cal/73-74.**—Whereas, I, M. N. Tiwary, being the competent authority under section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 157 situated at B. T. Road, Mouza Belgharia, P.S. Baranagar

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer, Sub Registrar, Cossipore Dumdum, on 23rd March, 1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor and the transferee has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

Smt. Radha Devi Dhanuka, W/o Purushottam Lal Dhanuka, 180, Chittaranjan Avenue, Calcutta —*Transferor*

Sun Distributors and Mining Company Ltd., 14, Netaji Subhas Raod, Calcutta — *Transferee*

*Person in occupation of the property.*

*Person whom the undersigned knows to be interested in the property.*

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

15% share in 9·86 acres of land at premises No. 157BT. Road P.S. Baranagore, Distt 24 Parganas, Mouza Belghoria R. S. Plots No. 4129/4990, 4129/4992 to 4129/4997, 4129/5000, 4129/5001, 4129/5003 to 4129/5006, and 4129/5991.

**सं० ए०सी०-13/आर० IV कौल/73-74.**—यतः, मुझे, एम० एन० तिवारी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह, विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 157 है, जो बि०, टि० रोड, मौजा बेलघरिया, थाना बरानगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सब रजिस्ट्रार काशीपुर दमदम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 1973, 23 मार्च को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिये सुकर बनाना ; और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने के लिए सुकर बनाना ;

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20 क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब, धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती राधा देवी धानुका (अन्तरक)
स्वामी पुरुशोतम लाल धानुका, 180, चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता ।

2. सन डिस्ट्रीब्यूटर एंड माइनिंग कम्पनी लिमिटेड, 14 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधो-हस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

**स्पष्टीकरण.**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो इस उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

बि० टि० रोड, थाना बरानगर, जिला—24-परगणा, मौजा बेलघरिया आर० एस० प्लाट नं० 4129/4990, 4129/4992 से 4129/4997, 4129/5000, 4129/5001, 4129/5003 से 4129/5006 एवं 4129/5991 से स्थित 9.86 एकड़ जमीन का 15% हिस्सा।

**No. Ac-12/R-IV/Cal/73-74.**—Whereas, I, M. N. Tiwary, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 157 situated at B. T. Road, Mouza Belgoria, P.S. Baranagar.

(and more fully described in the Schedule annexed here to), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer Sub Registrar Cossipore Dumdum, on 23rd March, 1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor and the transferee has not been duly stated in the said instrument of transfer with the object of--

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

Smt. Shanta Devi Bangur W/o Srinivas Bangur
16, Alipur Road, Calcutta-27 . . . *Transferor*

Sun Distributors and Mining Company Ltd.,
14, Netaji Subhas Raod, Calcutta. . *Transferee*

*Person in occupation of the property.*

*Person whom the undersigned knows to be interested in the Property.*

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

22% share in 9·86 acres of land at premises No. 157 B.T. Road, P.S. Baranagore, Distt. 24 Parganas, mouza Belghoria, R.S. Plots No. 4129/4990, 4129/4992 to 4129/4997, 4129/5000, 4129/5001, 4129/5003 to 4129/5006 and 4129/5991.

सं० ए०सी०-12/आर-IV/ कैल/73-74.—यतः, मुझे, एम० एन० तिवारी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 157 है, जो बि० टि० रोड, मौजा बेलघरिया, थाना बरानगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सब रेजिस्ट्रार काशीपुर दमदम, में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 1973, 23 मार्च को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का

उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिये सुकर बनाना ; और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने के लिए सुकर बनाना ;

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20 क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब, धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती शान्ता देवी बंगूर (अन्तरक)

स्वामी श्रीनिवास बंगूर, 16-अलीपुर रोड, कलकत्ता-27

2. सर्व डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड माइनिंग कम्पनी लिमिटेड, (अन्तरिती)

14, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता ।

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधो-हस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

**स्पष्टीकरण.**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

157 बी० टी० रोड, थाना बरानगर, जिला 24-परगणा ; मौजा बेलघरिया ; आर० एस० प्लाट नं० 4129/4990, 4129/4992 से 4129/4997, 4129/5000, 4129/5001, 4129/5003 से 4129/5006 एवं 4129/5991 में स्थित 9.86 एकड़ जमीन का 22% हिस्सा ।

**No. Ac-11/R-IV/Cal/73-74.**—Whereas, I M. N. Tiwary, being the competent authority under section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 157 situated at B. T. Road, Mouza Belghria P. S. Baranagar,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer Sub Registrar Cossipur Dumdum, on 23rd March, 1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor and the transferee has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

Smt. Shanta Devi Bangur W/o Srinivas Bangur 16, Alipur Road, Calcutta-27 . . . *Transferor*

Sun Distributors and Mining Company Ltd., 14, Netaji Subhas Road, Calcutta . . . *Transferee*

*Person in occupation of the property.*

*Person whom the undersigned knows to be interested in the Property*

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property

will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who nas made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

20% share in 9·86 acres of land at premises No. 157, B.T. Road, P.S. Baranagore Distt.—24 Parganas Mouza Belghoria R.S. Plots No. 4129/4990, 4129/4992 to 4129/4997, 4129/5000, 4129/5001, 4129/5003 to 4129/5006 and 4129/5991.

**सं० ए०सी०-11/आर-IV/कैल/73-74.**—यतः, मुझे एम० एन० तिवारी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 157 है, जो बी० टी० रोड, मौजा बेलघरीया, थाना बरानगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सा० रजिस्ट्रार, कार्णपुर, दमदम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 1973, 23 मार्च को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिकर, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिये सुकर बनाना ; और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने के लिए सुकर बनाना;

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

श्री गौर गोपाल मिश्र

1. श्रीमती शान्ता देवी वागुर (अन्तरक)
   स्वामी श्रीनिवास वागुर 16 अलीपुर रोड, कलकत्ता-27
2. श्री/श्रीमती/कुमारी सन डिस्ट्रिब्यूटरस एंड मोहंति कम्पनी लिमिटेड (अन्तरिति)
   14, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

**स्पष्टीकरण**.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

157 बी० टी० रोड, थाना बरानगर, जिला 24-परगणा ; मौजा बेलघरिया ; आर एस० प्लाट नं० 4129/4990, 4129/4992 से 4129/4997, 4129/5000, 4129/5001, 4129/5003 से 4129/5006 एवं 4129/5991 में स्थित 9.86 एकड़ जमीन का 20% हिस्सा।

**No. Ac-10/R-IV/Cal/73-74.**—Whereas, I M. N. Tiwary, being the competent authority under section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 157, situated at B. T. Road, Mouza Belghoria, P.S. Baranagar

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer Sub-Registrar Cossipur Dumdum on 24-3-1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor and the transferee has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

Smt. Shanta Devi Bangur W/o Srinivas Bangur 16, Alipur Road, Calcutta-27 . . . *Transferor*

Sun Distributors and Mining Company Ltd., 14, Netaji Subhas Road, Calcutta . . . *Transferee*

*Person in occupation of the property.*

*Person whom the undersigned knows to be interested in the Property.*

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

20% share in 9·86 acres of land at premises No. 157 B.T. Road P.S. Baranagore Dist.—24 Parganas, Mouza Belghoria R. S. Plots No. 4129/4990, 4129/4992 to 4129/4997, 4129/5000, 4129/5001, 4129/5003 to 4129/5006 and 4129/5991.

सं०ए०सी०-10/आर०-IV/कैल/73-74.—यतः, मुझे एम० एन० तिवारी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 157 है, जो बी० टी० रोड मोजा बेलघरीया ; थाना बरानगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, सं० रजिस्ट्रार कार्णापुर, दमदम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 1973, 24 मार्च को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया

गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिये सुकर बनाना; और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने के लिए सुकर बनाना;

और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गये हैं।

अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1—श्रीमती शान्तादेवी बांगुर (अन्तरक)

स्वामी श्री निवास बाबुर 16 अलीपुर रोड कलकत्ता—27

मेसर्स डिस्ट्रिब्यूटर्स एंड माईनिंग कम्पनी लिमिटेड 14 नेताजी सुभाष रोड—कलकत्ता (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरीति को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

**स्पष्टीकरण.**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

157 वि० टि० रोड, थाना बरानगर, जिला 24 परगणा; मौजा बेलघरिया, आर० एस० प्लाट नं० 4129/4990, 4129/4992 से 4129/4997, 4129/5000, 4129/5001, 4129/5003 से 4129/5006 एवं 4129/5991 में स्थित 9.86 एकड़ जमीन का 20% हिस्सा ।

**No. Ac-8/R-IV/Cal/73-74.**—Whereas, I, M. N. Tiwary, being the competent authority under section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immobable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Nos. 35A and 35B situated at South Sinth Road, P. S Cossipur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer Sub-Registrar, Cossipur Dumdum on 23rd March, 1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor and the transferee has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

Smt. Parul Bala Paul w/o Late Kanai Lal Paul, 77, Beniatolla Street, Calcutta . *Transferor*

Smt. Kankabati Roy w/o Shri S.N. Roy, 3B, Shyam Square East, Clacutta. . . . *Transferee*

*Person in occupation of the property.*

*Person whom the undersigned knows to be interested in the property.*

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 3 bighas 15 cottahs at 3/1, Gour Sundar Sett Lane and 35A and 35B, South Sinthi Raod, Calcutta.

**सं० ए सी–8/आर०–IV/कैल/73–74.**—यतः, मुझे, एम० एन० तिवारी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० 35-ए एवं 35-बि है, जो साउथ सिंथी, थाना काशीपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सब-रजिस्ट्रार काशीपुर दमदम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 23 मार्च, 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिये सुकर बनाना ; और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने के लिए सुकर बनाना ;

और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गये हैं।

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269–घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1-श्रीमती पारुल बाला पाल, स्वामी (मृत) कानाई लाल पाल
77 बेनियाटोल्ला स्ट्रीट्र करकत्ता । (अन्तरक)

2–श्रीमती बंकावर्ती राय स्वामी एम० एन० राय
3-बि, स्थान स्कवायर ईस्ट, कलकत्ता (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं। लेकन सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी

अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

**स्पष्टीकरण.**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20—क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

**अनुसूची**

3/1 गौर सुन्दर सेठ लेन एवं 35 ए एण्ड 35 बि सऊथ सिथीरोड, कलकत्ता स्थित 3 बिघा 15 कट्ठा जमीन ।

*Calcutta, the 19th September 1973*

**No. Ac-40/R-II/Cal/73-74.**—Whereas, I, M. N. Tiwary, being the competent authority under section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 5/1D, (Western portion) situated at Despriya Park East, P.S Tollygunge,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer Sub-Registrar, Alipur Sadar on 7th March, 1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor and the transferee has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

Shri Jogindra Nath Mitra S/o Late Manindra Nath Mitra, 86K, Manoharpukur Road, Calcutta . *Transferor*

Smt. Mamata Ghosh w/o Shri Amalendu Ghosh, 229B, Vivekanand Road, Calcutta . . . *Transferee*

*Person in occupation of the property.*

*person whom the undersigned knows to be interested in the Property.*

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Premises No. 5/1D (Western portion) Despriya Park East, P.S. Tollygunge, Calcutta having an area of 3 cottahas 14 chattacks and 36 sq. ft.

## आयकर रेंज–II कलकत्ता

कलकत्ता, 19 सितम्बर, 1973

सं० ए० सी०-40/आर—II/कलकत्ता/73–74—यतः, मुझे एम० एन० तिवारी आयकर अधिनियम, 1961, (1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/– रु० से अधिक है और जिसकी सं० 5/1 डि (हिस्सा) देशप्रिय पार्क ईस्ट थाना टालीगंज राम कक्षा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सब-रजिस्ट्रार अलीपुर सदर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908(1908 का 16) के अधीन 1973, 7 मार्च को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि तथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिये सुकर बनाना; और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम, 1957(1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने के लिए सुकर बनाना;

और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गये हैं।

अतः अब, धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269–घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1–श्री। योगिन्द्र नाथ मिश्रा पिता (मृत) मणिन्द्र नाथ मिश्रा 86 के मनोहरपुकुर रोड ; कलकत्ता (अन्तरक)

2–श्रीमती ममता घोष स्वामी अमलेन्धू घोष 229 वि विवेकानन्द रोड, कलकत्ता (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरीति को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

5/1डी (पश्चिमी हिस्सा) देशप्रिय पार्क ईस्ट थाना, टालीगंज कलकत्ता में 3 कट्ठा, 14 छटाक एवं 30 वर्ग फीट जमीन।

No. Ac-41/R-II/Cal/73-74.—Whereas, I M. N. Tiwary, being the competent authority under section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No. 293/92/1 situated at Biren Roy Road East, Calcutta, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer Registrar of Assurances, Calcutta, on 31st March, 1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by

more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor and the transferee has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

Purnendu Mohan Bose, 103 C, Block F, New Alipore, Calcutta-53 *Transferor*

Bejoy Kumar Bajoria, 51, Bhupendra Bose Avenue, Calcutta-4. . . . *Transferee*

*Person in occupation of the property.*

*Person whom the undersigned knows to be interested in the property.*

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

No. 293/92/1, Biren Roy Road East, Calcutta C. S. Dag No. 604 Kh. No. 638 area 39 K. 4 Ch. 11 sq. ft. P.S. Behala, Distt. 24 Parganas.

सं० ए०सी०-41/आर-II/कलकत्ता-73-74.—यतः, मुझे एम० एन० तिवारी, आयकर अधिनियम, 1961, (1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 293/92/1 बिरेन राय रोड ईस्ट है, जो थाना बेहाला जिला 24-परगणा स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित

है ), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय रजिस्ट्रार ओफ एसियोरेन्से, कलकत्ता में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनिचम 1908 (1908 का 16) के अधीन 1973, 7 मार्च को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43)के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिये सुकर बनाना; और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) या धनकर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने के लिए सुकर बनाना;

और यतः, आयकर अधिनियम, 1961–1961 का 43 के अध्याय 20 क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गये हैं।

अतः अब, धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961( 1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1—श्री पूर्णेन्दु मोहन बोस 103 सि, ब्लक—एफ निऊ अलीपुर, कलकत्ता–53 (अन्तरक)
2—श्री विजय कुमार बजोरीया 51 भूपेन्द्र बोस एवेन्यू (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के लिये अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

**स्पष्टीकरण**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

## अनुसूची

नं० 293/92/1 बिरेन राय रोड ईस्ट कलकत्ता : सा०एस० दाग नं० 604 खतियान नं० 638 जमीन 39 कट्ठा, 4 छटाक 11 स्कोयार फिट पि० एस० बेसला ; जिला 24-परगणा।

**No. Ac-42/R-II/Cal/73-74.**—Whereas, I, M N. Tiwary, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 263, 164, 264, 265, 162, 695, 272, 272/700, 271, 166, 273; 274/797, 261, 262, 168 situated at Mouza Chakmari P. S. Maheshtalla Dist. 24-Parganas, (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer Sub-Registrar, Alipur Sadar on 31st March, 1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me,

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

Birla Jute Manufcturing Co. Ltd., 15, India Exchange Place, Clacutta-1 . . . *Transferor*

Associated Metal Industries, 27B, Chittaranjan Avenue, Calcutta-13 . . . . . *Transferee*

*Person in occupation of the property.*

*Person whom the undersigned knows to be interested in the Property.*

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof sall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

District 24-Parganas P.S. Mahestolla Mouza : Chakmari J. L. No. 8 area 3·37 acres of land comprised in different Dag Nos. 263, 164, 264, 265, 272, 272/700, 271, 166, 273, 274/797, 261, 262, 168, 162, 695.

**सं० एसी-42/आर-II/कलकत्ता/73-74.**—यतः, मुझे एम० एन० तवारी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 263, 164, 264, 265, 162, 695, 272, 272/700, 271, 166, 273; 274/797, 261, 262, 168 है जो मौजा चकमारी थाना महेशतल्ला जिला 24-परगणा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, सब रजिस्ट्रार अलीपुर सदर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 1973, 31 मार्च को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिये सुकर बनाना; और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य-आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने के लिए सुकर बनाना;

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गए हैं।

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1—मै० बिड़ला जूट मैनूफ्याकचारिंग क० लिमिटेड 15 इंडिया एक्सचेंज (अन्तरक) प्लेस, कलकत्ता—1

2—मै० एसोसियेटेड मेटल इंडस्ट्रिज 27 सि चित्तरंजन एवेन्यू, कलकत्ता—13 (अन्तरिती)

3—श्री/श्रीमती/कुमारी .....(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4—श्री/श्रीमती/कुमारी .....(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधो-हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधो-हस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सूने जाने के लिए अधिकार होगा।

**स्पष्टीकरण**:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

जिला 24—परगणा थाना महेशतला मौजा चकमारी जे०एल०नं० 8 जमिन 3 37 एकड़, जिसके विभिन्न दाग नं० है 263, 164, 264, 265, 272, 272/700, 271, 166, 273, 274/797, 261, 262, 168, 162, 695.

**No. Ac-43/R-II/Cal/73-74.**—Whereas I, M. N. Tiwary, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 164, situated at Prince Anwar Shah Road, Tollygunge, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as a deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer Sub-Registrar, Alipore, on 14th March, 1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been trully stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

Bangur Land Development Corporation Ltd.,
5, Deshpran Sasmal Raod, Calcutta-23 . *Transferor*

Adhunika Co-operative Housing Society Ltd.,
132, Charuchandra Place East, Caclutta-33 . *Transferee*

*Person in occupation of the property.*

Person whom the undersigned knows to be interested in the Property.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

19 cottahs 15 chattacks and 18 sq. ft. land at Mouza Arakpore, C. S. Dag Nos. 74, 74/192 74/191(P), 74/194(P), and 74/195(P) at premises No. 164, Prince Anwer Shah Road, P.S. Tollygunge, Calcutta.

सं० ए०सी०-43/आर०-II/कैल/73-74.—यतः, मैं एम० एन० तिवारी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 296-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 164 है, जो प्रिन्स अनवर शाह रोड, टॉलीगंज, कलकत्ता

में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय सब रेजिस्ट्रार, अलीपुर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 14 मार्च 1973, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमन प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिये सुकर बनाना, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य-आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने के लिए सुकर बनाना,

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गए हैं।

अतः अब धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1—आगंड लैंड डेवोलोपमेंट करपोरेशन लि०, देशप्राण सासमल रोड, कलकत्ता-33 (अन्तरक)

2—आधुनिका को-ओपरेटिव हाउस सोसाइटी 132 चारूचन्द्र प्लेस ईस्ट, कलकत्ता-33 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो, भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समये सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20—क में यथा परिभाषित, हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है

## अनुसूची

164, प्रिन्स अनवर साह रोड ; थाना टालीगंज, कलकत्ता मौजा आराकपुर स्थित 19 कठा 15 छटाक एवन् 18 स्कोयार फिट जमीन जिसका विभिन्न दाग नं हैं 74, 74/192, 74/191(पि), 74/194(पि) एवं 74/195(पि)

सक्षम प्राधिकारी
(एम० एन० तिवारी)
(सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रज II

**No. Ac-44/R-II/Cal/73-74.**—Whereas, I, M. N. Tiwary, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 10/2, diamond Harbour Road, situated at P. S. Alipore, Calcutta, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer Distt. Sub-Registrar, Alipore on 30th March, 1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor and the transferee has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

Shri Subodh Kumar Dey, s/o Late Nab Kr. Dey,
30, Elgin Road, Calcutta-20. . Transferor

Shri Ramesh Chandra Chrbria s/o K. L. Chabria
2A, Rakhal Mukherjee Road, Calcutta-25 . Transferee

Person in occupation of the property.

Person whom the undersigned knows to be interested in the Property.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceeding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Premises No. 10/2 Diamond Harbour Road P.S. Alipur Calcutta having 5 Cottahs and 115 sq. ft land and other structures.

सं० ए०सी०-44/कलकत्ता-II/आर/73-74.—यतः, मुझे एम० एन० तिवारी आयकर अधि• नियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० नं० 10/2 डायमंड हार्बर रोड है जो थाना अलीपुर कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार अलीपुर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 30-3-1973, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिये सुकर बनाना; और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य-आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने के लिए सुकर बनाना ;

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20 क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गए हैं।

अतः, अब, धारा 269–ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1—श्री सुबोध कुमार दे (अन्तरक)
2—श्री रमेश चन्द्र छवड़िया (अन्तरिती
†3—श्री/श्रीमती/कुमारी ————————
†4—श्री/श्रीमती/कुमारी ————————

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

**स्पष्टीकरण** :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20–क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

नं० 10/2 डायमंड हार्बर रोड अलीपुर कलकत्ता में स्थित 5 कट्ठा 15 वर्ग फीट जमीन तथा मकानात

**No. Ac-45/R-II/Cal/73-74.**—Whereas, I, M. N. Tiwary, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding **Rs.** 25,000/- and bearing

No. 168, situated at Prince Anwar Shah Road, P. S. Tollygunge, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been

transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer Joint Sub-Registrar, Alipur on 31st March, 1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor and the transferee has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax, Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

Ranganath Bangur, 16, Alipur Road, Calcutta-27. . *Transferor*

Bangur Land Development Corporation Ltd.,
5, Deshapran Sasmal Road, Calcutta-33. . *Transferee*

Person in occupation of the property.

Person whom the undersigned knows to be interested in the Property.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Free hold vacant land 51 sataks, 1/4th share. Dag No. 19 Mouza Gobindapur, P.S. Tollygunge Premises No. 168, Prince Anwar Shah Road, Calcutta.

सं० ए० सी०-45/आर-II/कैल०73-74—यतः, मुझे एम० एन० तिवारी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 296-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 168 है, जो प्रिन्स अनवर शाह रोड, टालीगंज कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ज्वायंट सब रेजिस्ट्रार अलीपुर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 31 मार्च, 1973, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिये सुकर बनाना, और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य-आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिय था छिपाने के लिए सुकर बनाना;

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिय कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गए हैं।

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1—श्री रंगनाथ बांगुड़ (अन्तरक)
2—बांगुड़ लैंड डेवलपमेंट और कारपोरेशन लिमिटेड (अन्तरिती)
†3 श्री।श्रीमती।कुमारी
†4 श्री।श्रीमती।कुमारी

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरुकरता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20—क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

## अनुसूची

दाग नं० 19 मौजा गोबिन्दपुर थाना टॉलीगंज नं० 168 प्रिंस अनवर शाह रोड़, कलकत्ता में 51 शतक जमीन का एक चौथाई भाग

**No. Ac-46/R-II/Cal/73-74.**—Whereas, I, M. N. Tiwari, being the competent authority under section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing—

No. 168 situated at Prince Anwar Shah Road, P.S. Tollygunge, Calcutta, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer Joint Sub-Registrar Alipur, on 30th March, 1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor and the transferee has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

Ranganath Bangur 16, Alipur Road, Clacutta-27 . *Transferor*

Bangur Land Development Corporation Ltd.
5, Deshparan Sasmal Rood, Calcutta-33 . *Transfere*

Person in occupation of the property.

*Person whom the undersigned knows to be interested in the property*

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Free hold vacant land 51 sataks, 1/4th share, Dag No. 19 Mouza Gobindapur P.S. Tollygunge Premises No. 168, Prince Anwar Shah Road, Calcutta.

M. N. TIWARY,
Competnt Authoritry
(Inspecting Assistant Commissionea
of Income Tax Acquisitiov Range II C acut
P-13, Chowringhee Square,
Calcutta-1.

Date : 19-9-73

Seal

स एसी–46 / आर०II कल / 73–74.—यतः, मुझे एम० एन० तिवारी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/– रु० से अधिक है और जिसकी सं० 168है, जो प्रिंस अनवरशाह रोड़ थाना टालीगंज कलकत्ता में स्थित है,औ इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ज्वायंट सबरजिस्ट्रार अलीपुर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 30–3–73 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रति फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिये सुकर बनाना; और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरि ी

द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने के लिए सुकर बनाना;

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गए हैं।

अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रंगनाथ बांगुड़ ] (अन्तरक)
(2) बांगुड़ लैंड डेवलपमेंट (अन्तरिती)
(3) कारपोरेशन लिमिटेड ]

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

## अनुसूची

दाग नं० 19, मौजा गोबिंदपुर, थाना टालीगंज नं० 168, प्रिंस अनवर शाह रोड, कलकत्ता में 51 शतक जमीन का एक चौथाई भाग।

एम० एन० तिवारी,
सक्षम प्राधिकारी
[सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II],
पी-13 चौरंगी स्क्वायर, कलकत्ता-1

तारीख : 21-9-73

मोहर :

## OFFICE OF THE COMPETENT AUTHORITY, INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE I

### NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

*Calcutta, the 19th September 1973*

**No. I.A.C./(Acqn)/R-I/CAL/TR-759/119/A.P.-2/72-73.**—Whereas I. S: K: Chakravarty, being the competent authority under section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. 7 situated at Kankulia Road, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1968) in the office of the registering officer, the Sub-Registrar, Alipur, 24 Parganas on 7th March, 1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transffer as agreed to between the transfer(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

(1) Sri Ratanjit Samanta — *Transferor*

(2) Smt. Hena Saha
(3) Sri Manindra Lal Choudhury } *Transferees*

Person in occupation of the property.

Person whom the undersigned knows to be interested in the Property.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will b fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot of land measuring 7 Cottahs 15 Chittaks more or less at premises No. 7, Kenkulia Road, Calcutta.

Date : 19.9.73
Seal :

स० आ० आयुक्त (निरीक्षण) कार्यालय, अर्जन रेंज-1/कल०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

कलकत्ता, 19 सितम्बर, 1973

सं० टी० आर० 759/सी०—119/ए० ो०-2/72-73.—यत: मुझे, एस० के० चक्रवर्ती आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० 7 है, जो कांकुलिया रोड, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सब-रजिष्ट्रार, अलीपुर, 24, परगना में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 7—3—73 को पूर्वोक्त सम्पत्ति उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना ;

और यत: आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20—क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अत:, अब, धारा 269—ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269—घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री रतनजीत सामन्त (अन्तरक)

(2) श्रीमती हेना साहा (अन्तरिती)

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति )

(3) श्री मनीन्द्र लाल चौधरी

(4) श्री/श्रीमती/कुमारी..... (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारीजारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्वगामी पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूचि

प्रमिसेस नम्बर 7, कांकुलिया रोड, कलकत्ता के एक प्लाट जमीन कमोबेस 7 कट्ठा 15 छटाक।

तारीख : 19-9-73

मोहर :

**No. TR-643/C-123/CAL-1/72-73.**—Whereas, I, S. K. Chakravarty, being the competent authority under section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/ and bearing

No. 4/2/1A/B situated at Ramkrishna Das Lane, Calcutta, (and more fully described in the Schedule annexed here to), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer, the Registrar of Assurances, No. 5, Government Place, North Calcutta, on 19th March, 1973 for an appar nt consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds th apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

*Transferors*

(1) Sri Santanu Chaudhuri, Administrator to the Estate of Gopendra Nath Chaudhuri (deceased)
(2) Smt. Juthika Chaudhuri
(3) Miss Shanta Chaudhuri
(4) Smt. Bandana Bose
(5) Sri Somendra Nath Chaudhuri
(6) Sri Rathindra Nath Chaudhuri
(7) Sri Ranendra Nath Chaudhuri
(8) Sri Ritendra Nath Chaudhuri
(9) Smt. Nilima Ghose

Smt. Premlata Chopra . . . . . *Transferee*

Person in occupation of the property.

Person whom the undersigned knows to be interested in the Property.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece of land and tank situate at and being the southern divided and demarcated portion of premises No. 4/2/1A, Ramakrishna Das Lane, Calcutta (excluding the eastern portion thereof) containing an area of 2 Cottahs 4 Chittacks and 17 square feet more or less) containing an area of one bigha, five cottahs, twelve chittacks and thirty square feet more or less forming part of Holding No. 298, Block No. XIII of the North Division of the town of Calcutta.

स०टी० आर०—643/सी—123/कल—1/72—73.—यतः, मुझे, एस० के० चक्रवर्ती, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/— रु० से अधिक है और जिसकी सं० 4/2/1 ए है, जो रामकृष्ण दास लेन, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रजिस्ट्रार आफ एस्योरेंसेज, 5, गवर्नमेंट प्लेस,नार्थ कलकत्ता में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 19—3—73 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल

के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना;

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

1. श्री सालनू चौधरी—गोपेंद्रनाथ चौधरी के स्टेट का व्यवस्थापक (एडमिनीस्ट्रेटर)
2. श्रीमती जुथिका चौधरी
3. कुमारी शांता चौधरी
4. श्रीमती बन्दना बोस
5. श्री सोमेन्द्र नाथ चौधरी
6. श्री रथीन्द्र नाथ चौधरी
7. श्री रनेन्द्र नाथ चौधरी
8. श्री रीतेन्द्रनाथ चौधरी
9. श्रीमती नीलिमा घोष (अन्तरक)

2—श्री/श्रीमती प्रेमलता चोपरा (अन्तरिती)

3 —श्री/श्रीमती/कुमारी ----------(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4 श्री/श्रीमती/कुमारी----------(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचनाके उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायें और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

**स्पष्टीकरण**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

**अनुसूची**

प्रमिसेस नम्बर 4/2/1ए, राम कृष्ण दास लेन, कलकत्ता के दक्षिणी विभाजित और चिन्हित भाग, जिसमें अवस्थित जमीन का हरेक टुकड़ा और टैंक (पूर्वी हिस्सा जिसमें 2 कट्ठा 4 छटांक और 17 स्कायर फीट-कमोबेस जमीन है, को छोड़कर) जो एक बीघा, पांच कट्ठा, बारह छटांक और तीस स्कायर-फीट तकरीबन, होल्डींग नम्बर 298, ब्लाक नम्बर XIII का उत्तर-कलकत्ता शहर के अन्तर्गत ।

*Calcutta, the 20th September 1973*

**No. TR-795/C-157/CAL-1/72-73.**—Whereas, I, S. K. Chakravarty, being the competent authority under section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing

No. 4/2/1A situated at Ramkrishna Das Lane. Calcutta.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer. The Registrar of Assurances. No. 5, Govt. Place, North, Calcutta on 19th March, 1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

Sri Sachindra Chaudhuri *Transferor*

Sm. Kirans Chopra *Transfere*

*Person in occupation of the property.*

*Person whom the undersigned knows to be interested in the Property*

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Undivided half share of Northern divided and demarcated portion of vacant land and tank being premises No. 4/2/1A, Ramkrishna Das Lane containing an area of one bigha eleven Cottahs fourteen chittacks and seven square feet, Holding No. 298, Block XIII of North Division of the town of Calcutta.

कलकत्ता, 20 सितम्बर, 1973

सं० टी० आर०-795/सी-157/कल-I/72-73.—यतः मुझे, एस० के० चक्रवर्ती आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269, ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 4/2/1A है, जो रामकृष्ण दास लेन, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रजिस्ट्रार आफ एस्योरेन्सेज, 5, गवर्नमेन्ट प्लेस, कलकत्ता में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 19-3-73 को पूर्वोक्त सम्पत्ति बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना ;

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरु करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब, धारा 269–ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269–घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

1–श्री शचीन्द्र चौधरी (अन्तरक)

2–श्रीमती किरण चौधरा (अन्तरिती)

†3–श्री/श्रीमती/कुमारी (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ।

†4–श्री/श्रीमती/कुमारी..... (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरित जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है )

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद द्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूं

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20–क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

**अनुसूची**

उत्तरी विभाजित और चिन्हित भाग खाली जमीन और टैंक का आधा अविभाजित हिस्सा, जो प्रभिसेस नम्बर 4/2/1 ए राम कृष्ण दास लेन, कलकत्ता जिसमे एक एरिया एक विधा एगारह कट्टा चौवह छटांक और सात स्कायर फीट होल्डींग नं० 298 ब्लाक XIII, कलकत्ता शहर के उत्तर जिला (नार्थ डिजिन) का ।

**No. TR-472/C-146/CAL-1/72-73.**—Whereas, I, S. K. Chakravarty, being the competent authority under section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe, that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 243B situated at Acharya Prafulla Chandra Road Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed here to), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer. The Registrar of Assurances No. 5, Government Place North Calcutta on 12th March, 1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as

agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

*Transferor*

Maharaj Kumar Somendra Chandra Nandy and Maharani Nelima Prova Nandy

*Transferee*

Sri Kalidas Sadhu

*Person in occupation of the Property.*

*Person whom the undersigned knows to be interested in the Property.*

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

Explanation.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land containing an area of 14 Cottahs 5 Chitcaks 40 sq. ft. revenue free land being portion of 243-B Acharya Prafulla Chandra Road, Calcutta.

**सं० टी० आर०—472/सी—146/कल० 1/72—73**—यतः, मुझे एस० के० चक्रवर्ती आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/— रु० से अधिक है और जिसकी सं० 243-बी है, जो आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र रोड, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, रजिस्ट्रार आफ एस्योरेंसेज, 5, गवर्नमेंट प्लेस, नार्थ कलकत्ता में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 12—3—73 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल

के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना;

और अतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. 1. महाराज कुमार सोमेन्द्र चन्द्र नन्दी (अन्तरक)
2. 2. महारानी नीलिमा प्रभा नन्दी
श्री कालिदास साधू (अन्तरिती)
3. श्री/श्रीमती/कुमारी————————(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. श्री/श्रीमती/कुमारी————————(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

**अनुसूची**

243- बी आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र रोड, कलकत्ता का एक हिस्सा कर मुक्त जमीन जिसका रकबा 14 कण्ठा 5 हटाक और 40 स्क्वायर फीट है ।

तारीख 21-9-73

मोहर

(जो लागू न हो उसे काट दीजिये )

**No. TR-620/C-159/CAL-2/72-73.**—Whereas, I, S. K. Chakravarty, being the competent authority under section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 4/1 situated at New Kasia Bagan Lane, Calcutta (and more fully described in the Scheduled annexed here to), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer. The Sub-Registrar, Sealdah, 24-Parganas on 2nd March, 1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitiing the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

Sm. Rani Maul Bewa *Transferor*

Sri Sukdeo Misra *Transferee*

*Person in occupation of the property.*

Person whom the undersigned knows to be interested in the Property.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 1 Bigha 7 Cttahs situate and lying at Premises No. 4/1 New Kasia Bagan Lane, Calcutta, Holding No.72, Touzi No. 2833.

S. K. CHAKRAVARTY,
Competent Authority
(Inspecting Assistant Commissioner
of Income Tax Acquisition
Range I)
P-13, Chowringhee Square,
Calcutta.

Date : 21-9-73

Seal :

सं० टी०आर० 620/सी–159/कल–2/72–73 —यत: मुझे, एस० के० चक्रवर्ती आयकर, अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/– रू० से अधिक है और जिसकी सं० 4/1 है जो निउ कासिया बगान लेन कलकत्ता में स्थित हैं (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सब-रजिस्ट्रार सियालदह, 24 परगना में भारतीय रजिस्ट्रीकृण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 2–3–1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्य मान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथा-पूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल निम्नलिखत उद्देशय से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिये, सुकर बनाना, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना।

और यत: आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20–क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाही शरु करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब धारा 269–ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269–घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

1 श्रीमती रानी सुनी बेरा (अन्तरक)

2 श्री शुक देव मिश्र (अन्तरिती)

†3 श्री/श्रीमती/कुमारी.....
.....(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

†4 श्री/श्रीमती/कुमारी.....
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाही शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गये आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

**स्पष्टीकरण**:— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20–क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

## अनुसूची

प्रिंसेस नम्बर 4/1 निउ कासिया बगान लेन, कलकत्ता में स्थित 1 बीघा 7 कट्ठा माप का जमीन जिसका होल्डिंग नम्बर 72/तौजी नम्बर 2823 है।

एस० के० चक्रवर्ती
सक्षम प्राधिकारी
(सहायक आयकर आयुक्त
निरीक्षण अर्जन रेंज-)
पी-13, चौरंगी स्कायर,
कलकत्ता।

तारीख : 21–9–1973

मोहर :

†जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

OFFICE OF THE COMPETENT AUTHORITY

(Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range),

*Nagpur, the 20th September 1973*

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

**No. IAC/ACQ/21/73-74.**—Whereas, I, S. S. Roy, being the Competent Authority under Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 bearing

Agricultural land of about 37 acres bearing Survey No. 108 and 105/2 at Risod, Dist. Akola

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act; 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Akola, Risod, on 12th March, 1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) Facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) Facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which sought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reason for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of Section 269-D, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this Notice under Sub-section (1) of Section 269-D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely—

(1) Shri Nand Kishore Kapoorchand Bagade . (*Transferor*)

(2) Shri Motiram Limbaji Pawar . . . (*Transferee*)

(3) .. . (Person in occupation of the property)

(4) .. . (Person whom the undersign knows to be interested in property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of the notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the official gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every persons who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

Explanation.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Two plots of Agricultural land measuring 36 Acres and 71 Gunthas at Risod, Dist. Akola as under :

(1) 28 Acres and 38 Gunthas in S. No. 108.

(2) 8 Acres and 33 Gunthas inS. No. 105/2.

S. S. ROY,
Competent Au thority
(Inspecting Assistant Commissioner
of Income Tax
Acquisition Range, Nagpur

Nagpur. dated the 20th September 1973.

**कार्यालय सक्षम प्राधिकारी**

**(निरीक्षक सहायक आयकर आयुक्त)**
**अर्जन रेंज नागपुर**

नागपुर, 20 सितम्बर 1973

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ध (1) के अधीन सूचना

**सं० आय ए सी/ए सं क्रू/21/73–74**—यतः, मुझे, एस० एस० राय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के धारा 269 (1)ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/–रु० से अधिक है कृषि भूमी करीब 37 एकर जिसका सर्वे नं० 108 और 105/2 है जो रीसोड, जिला अकोला में स्थित हैं। .....

.....

.....है, जो.....में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरुप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 55 रीसोड में भारतीय रजिस्ट्रीकृण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 12–3–1973 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का करण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उथित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल निम्नलिखित उद्देशय से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना, और / या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना ।

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20—क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरु करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब धारा 269—ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269—घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

1 श्री/श्रीमती/कुमारी श्री नंद किशोर कपूरचंद बागडे .....
..... (अन्तरक)

2 श्री/श्रीमती/कुमारी श्री मोतीराम लींबाजी पवार.....
..... (अन्तरिती)

3 श्री/श्रीमती/कुमारी.....
.....
.....
..... (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पति है)

4 श्री/श्रीमती/कुमारी.....
.....
.....
..... (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाही शुरु करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितकर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तर्गत: के दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण:— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961का 43) के अध्याय 20—क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषिभूमि (दो भागों में) करीब 37 एकर है जो रीसेडि जिला अकोला (महाराष्ट्र) में स्थित है जिसका वर्णन निम्न लिखित है :—

(1) 28 एकर और 38 गुंठा स० हे नं० 108

(2) 8 एकर और 33 गुंठा स० हे नं० 105/2

एस० एस० राय,

तारीख 20-9-1973

सक्षम प्राधिकारी

मोहर :

[सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)

(जो लागू न हो उसे काट दिजिए)

अर्जन रेंज, नागपुर]

---

**No. TR-479/C-145/CAL-1/72-73.**—Whereas, I, S. K. Chakravarty, being the competent authority under section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the Immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing

No. 43, situated at Chowringhee Road, Calcutta,

(and more fully described in the Schedule annexed here to), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer The Registrar of Assurances, No. 5, Govt. Place North Calcutta on 13th March, 1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me,

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

Indian Tube Co. Ltd. *Transferor*

The Tata Iron and Steel Co. Ltd. *Transferor*

*Person in occupation of the property.*

*Person whom the undersigned knows to be interested in the Property.*

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation*:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/16th portion of the land bearing Municipal premises No. 43, Chowringhee Road, Calcutta.

**स० आ० आयुक्त (निरीक्षण) कार्यालय**

19 सितम्बर, 1973

**सं० टी० आर-479/सी-145/कल-1/72-73.**—यतः मुझे, एस० के० चक्रवर्त्ती आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269(1) ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 43 है, जो चौरंगी रोड, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रजिस्ट्रार आफ एस्योरेन्सेज, 5 गवर्नमेंट प्लेस नार्थ, कलकत्ता, में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 13-3-73 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना;

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब, धारा 269–ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269–घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

1. श्री/श्रीमती/कुमारी इन्डियन टयुब को०लि० (अन्तरक)
†2. श्री/श्रीमती/कुमारी टाटा आइरन एन्ड स्टील को०लि० (अन्तरिती)
†3. श्री/श्रीमती/कुमारी (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. †श्री/श्रीमती/कुमारी (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिऐ तारीख और स्थान नियत किये जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

**स्पष्टीकरण.**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20–क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

**अनुसूची**

1/16वां हिस्सा जमीन जो कि म्युनिसिपल प्रेमिसेज नम्बर 43, चौरंगी रोड, कलकत्ता में है ।

सक्षम प्राधिकारी
(सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज————————)
पी–13 चौरंगी स्कापर, कलक्ता।

तारीख : 19–9–73

मोहर :

†(जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

**No. TR-796/C-158/CAL-1/72-73.**—Whereas, I S. K. Chakravarty, being the competent authority under section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 4/2/1A situated at Ramkrishna Das Lane, Calcutta

(and more fully described in the Schedule annexed here to), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the

office of the registering officer The Registrar of Assurances No. 5, Govt. Place North, Calcutta, on 19th March, 1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

*Transferor*

Sri Sachindra Chaudhuri, Administrator to the estate of Satyendra Nath Chaudhuri (Deceased)

*Transferee*

Smt. Swaran Lata Chopra

*Person in occupation of the property*

*Person whom the undersigned knows to be interested in the Property.*

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

*Explanation.*—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Undivided half share of northern divided and demarcated portion of vacant land and tank being premises No. 4/2/1A Ramkrishna Das Lane containing an area of one bigha eleven Cottahs fourteen chittacks and seven square feet, Holding No. 298, Block XIII of the North Division of the town of Calcutta.

S. K. CHAKRAVARTY,
*Competent Authority,*
*(Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,*
*Acquisition Range I,*
P-13, Chowringhee Square,
Calcutta.

Date : 20-9-73
cal

सं० टी०आर-796/सी-158/कल-1/72-73—यतः, मुझे एस० के० चक्रवर्ती आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रु० से अधिक है और जिसकी सं० 4/2/1A है, जो रामकृष्ण दास लेन कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रजिस्ट्रार आफ एस्योरेन्सेज, 5 गवर्नमेंट प्लेस नार्थ, कलकत्ता में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 19-3-73 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना;

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

| | |
|---|---|
| 1. श्री/श्रीमती/कुमारी शचीन्द्र चौधरी एडमिनीस्ट्रेटर, इस्टेट सत्येन्द्र नाथ चौधरी (डीसीज्ड) | (अन्तरिती) |
| 2. श्री/श्रीमती/कुमारी स्वरन लता चौधरी | (अन्तरक) |
| †3. श्री/श्रीमती/कुमारी | (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) |
| †4. श्री/श्रीमती/कुमारी | (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) |

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

**स्पष्टीकरण**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

**अनुसूची**

अविभाजित आधा हिस्सा उत्तरी विभाजित तथा चिन्हीत भाग खाली जमीन और टैंक जो प्रभीसेस नम्बर 4/2/1ए, रामकृष्ण दास लेन, करम, जिसमें एक एरिया एक बीघा एगारह कठ्ठा चौदह छटाक और सात स्कायर फीट है, होल्डींग नंबर—298, ब्लाक XIII, कलकता शहर के उत्तरी भाग (डिवीजन) ।

एस० के० चक्रवर्ती,
सक्षम प्राधिकारी
[सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रैंज I],
पी—13, चौरंगी स्कायर, कलकत्ता ।

तारीख 20—9—73

मोहर :

†(जो लागू न हो उसे काट दीजिये )

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973